

## मार्च 2020

### PRS के प्रमुख हाइलाइट्स

#### ■ संसद

- बजट सत्र 2020 समाप्त

#### ■ कोवडि-19

- देश में 21 दिनों के लॉकडाउन की अधिसूचना
- कराधान और अन्य कानून अध्यादेश
- कोवडि-19 से राहत प्रदान करने के लिये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना
- कोवडि-19 महामारी के कारण उत्पन्न वित्तीय संकट में RBI की भूमिका
- COVID-19 परीक्षण प्रयोगशालाएँ खोली गईं
- घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्राएँ बंद, वीजा जारी करने का कार्य नरिस्त
- वेंटिलेटर, मास्क, सैनिटाइजर और कुछ दवाओं के निर्यात पर प्रतिबंध
- प्रिंटि और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कामकाज
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर COVID -19 से संबंधित गलत सूचनाओं पर अंकुश
- जनगणना और NPR अगले आदेश तक के लिये स्थगित
- COVID-19 पर गठित सशक्त समूह
- दवालयि समाधान प्रक्रिया की न्यूनतम सीमा बढ़ाई
- EPF नकिसी की सीमा बढ़ाई
- IRDAI कोरोनावायरस के अंतरगत दावों से निपटारे के लिये दशिश-नरिदेश
- बजिली वततरण कंपनियों के नकदी संकट के समाधान हेतु उपाय
- वदिश व्यापार नीति 2015-20 को मार्च 2021 तक बढ़ाया
- पर्यावरणीय मंजूरियों और पर्यावरण प्रभाव आकलन की शर्तों में परविरतन
- DST ने COVID-19 से संबंधित तकनीकी समाधानों की मैपिंग
- अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की नयित कमीशनगि की समय-सीमा बढ़ाई
- ऊर्जा मंत्रालय तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की राज्य सरकारों के लिये एडवाइजरीज़
- अन्य सेवा प्रदाताओं के लिये नयिमों और शर्तों में छूट

#### ■ समषटि आरथकि (मैकरोइकोनामिकि) वकिस

- 2019-20 की तीसरी तमिाही में चालू खता घाटा GDP का 0.2%

#### ■ वतित

- वतित वधियक, 2020
- राजकोषीय समेकन की समीक्षा हेतु 15वें वतित आयोग द्वारा समतिका गठन
- सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों का वलिय
- सर्वोच्च न्यायालय ने वरचुअल करेंसियों को रेगुलेट करने वाले RBI के सर्कुलर को रदद कयिा
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनरपूजीकरण
- RBI भुगतान एग्रीगेटरस और गेटवे के नयिमन संबंधी दशिश-नरिदेश

#### ■ कॉरपोरेट मामले

- दवालयिापन संहति (संशोधन) वधियक, 2020
- कंपनी (संशोधन) वधियक, 2020
- नगिम सामाजकि दायतिव (CSR) पर मसौदा नयिम
- NCLAT की न्यायपीठ की स्थापना

#### ■ सवासथय

- मेडकिल टर्मनिशन ऑफ प्रेग्नेन्सी (संशोधन) वधियक, 2020
- राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग वधियक, 2019
- आयुर्वेद शकिसा और अनुसंधान संस्थान वधियक, 2020
- राष्ट्रीय आयुष मशिन में आयुष सवासथय और कल्याण केंद्रों को शामिल करने को मंजूरी

#### ■ खनन

- खनजि कानून (संशोधन) अधियक, 2020
- खनजि रधियत संशोधन नधिम, 2020
- **परविहन**
  - प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधियक, 2020
  - सड़क परविहन मंत्रालय ने अनेक प्रावधानों में संशोधन हेतु मसौदा नधिमों को अधिसूचित किया
- **गृह मामले**
  - राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधियक, 2020
  - राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अधियक, 2020
  - संविधान (125वाँ संशोधन) अधियक, 2019
  - जम्मू एवं कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश पर 37 राष्ट्रीय कानून लागू
- **रक्षा**
  - रक्षा खरीद प्रक्रिया 2020 का ड्राफ्ट
- **महिला एवं बाल विकास**
  - बाल यौन अपराध संरक्षण नधिम, 2020
  - महिला सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर स्थायी समिति
- **ग्रामीण विकास**
  - मनरेगा की राज्यवार मजदूरी में संशोधन
- **पर्यावरण और वन**
  - मसौदा पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2020
  - पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 में संशोधन
  - पर्यावरण (संरक्षण) नधिम, 1986 में संशोधन
- **वैदेशी मामले**
  - अप्रवासी भारतीय विवाह पंजीकरण अधियक, 2019
- **वाणिज्य और उद्योग**
  - नरियातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट के लिये योजना
  - नागरिक उड्डयन में संशोधित प्रत्यक्ष वैदेशी निवेश नीति
- **मीडिया और प्रसारण**
  - सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति की सनिमेटोग्राफ (संशोधन) अधियक, 2019 पर रिपोर्ट
- **कपड़ा**
  - वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 के दौरान कपास के लिये MSP संचालन के अंतर्गत नुकसान की प्रतपूर्ति
- **कृषि**
  - उर्वरक सब्सिडी प्रणाली
  - खोपरा के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य
- **संचार**
  - इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर श्रेणी-I
- **इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी**
  - इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के संवर्द्धन के लिये योजना
- **नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा**
  - अटल ज्योति योजना चरण -II

संसद

## बजट सत्र 2020 समाप्त

संसद का बजट सत्र 31 जनवरी, 2020 से 23 मार्च, 2020 तक चला जिसमें 12 फरवरी से 1 मार्च, 2020 तक अवकाश रहा। सत्र 3 अप्रैल, 2020 को समाप्त होना था। लेकिन कोरोनावायरस के प्रकोप के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य की आपातस्थिति के मद्देनजर संसद को 23 मार्च, 2020 को अनश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया गया।

सत्र के दौरान 19 अधियक पेश किये गए। इनमें बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधियक, 2020, (Banking Regulation (Amendment) Bill, 2020,) कंपनी (संशोधन) अधियक, 2020, (Companies (Amendment) Bill, 2020,) [गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन \(संशोधन\) अधियक, 2020](#) (Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Bill, 2020) और विमान (संशोधन) अधियक, 2020 (Aircraft (Amendment) Bill, 2020) शामिल हैं।

संसद ने (वित्त और विनियोग अधियकों सहित) 12 अधियकों को पारित किया। जिन अधियकों को पारित किया गया, उनमें दवाला और दवालयोपन संहिता (दूसरा संशोधन) अधियक, 2020, (Insolvency and Bankruptcy Code (Second Amendment) Bill, 2020,) [खनजि कानून \(संशोधन\) अधियक, 2020](#) (Minerals Laws (Amendment) Bill, 2020) और [प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधियक, 2020](#) शामिल हैं।

## कोवडि-19

कोरोनावायरस 2019 (COVID-19) एक नए प्रकार के वायरस से फैलने वाला संक्रामक रोग है। यह रोग चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ और फरि विश्व के विभिन्न देशों में फैल गया। 11 मार्च, 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने COVID-19 को विश्वव्यापी महामारी (Pandemic) घोषित किया। भारत में पहला मामला 30 जनवरी, 2020 को मिला। इसके बाद से देश में मामलों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। 31 मार्च, 2020 तक भारत में 1,397 मामलों की पुष्टि हुई है। कोवडि-19 के फैलने के साथ केंद्र सरकार ने इस महामारी को फैलने से रोकने, प्रभावित होने वाले नागरिकों और व्यवसायों को मदद देने के लिये वित्तीय उपाय संबंधी नीतिगत फैसले किये हैं। इस संबंध में मुख्य घोषणाएँ इस प्रकार हैं:

### देश में 21 दिनों के लॉकडाउन की अधिसूचना

कोवडि-19 को फैलने से रोकने के लिये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority- NDMA) ने केंद्र और राज्य सरकारों, साथ ही विभिन्न राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (State Disaster Management Authorities- SDMA) को निर्देश दिये हैं कि वे 21 दिनों की सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के उपाय करें (इसकी अवधि 25 मार्च, 2020 से प्रारंभ है)। [आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005](#) के प्रावधानों के अंतर्गत विभिन्न दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं। NDMA और SDMA की स्थापना के अतिरिक्त आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन हेतु अधिनियम इन प्राधिकरणों को विशेष शक्तियाँ प्रदान करता है।

### कराधान और अन्य कानून अध्यादेश

कराधान और अन्य कानून (विभिन्न प्रावधानों में राहत) अध्यादेश, 2020 जारी किया गया। अध्यादेश वशिष्ट कानूनों के संबंध में कुछ राहत प्रदान करता है जैसे- समय-सीमा को बढ़ाना और सजा से छूट।

[इस बारे में और पढ़ें](#)

### कोवडि-19 से राहत प्रदान करने के लिये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना

कोवडि-19 महामारी के मद्देनजर वित्त मंत्री ने गरीबों के लिये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana) के अंतर्गत राहत पैकेज की घोषणा की।

[इस बारे में और पढ़ें](#)

### कोवडि-19 महामारी के कारण उत्पन्न वित्तीय संकट में RBI की भूमिका

भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) ने कोवडि-19 के कारण उत्पन्न हुए वित्तीय संकट से निपटने के लिये अनेक उपायों की घोषणा की।

[इस बारे में और पढ़ें](#)

### COVID-19 परीक्षण प्रयोगशालाएँ खोली गईं

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने निम्नलिखित हेतु अनेक एडवाइजरी और अधिसूचनाएं जारी की हैं:

- नागरिक
- अस्पताल
- राज्य सरकार/वभाग/मंत्रालय
- कर्मचारी।

मुख्य अधिसूचनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- परीक्षण प्रयोगशालाएँ:** भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research) ने कोवडि-19 के लक्षणों वाले सभी व्यक्तियों के मुफ्त निदान (Diagnosis) की अनुमति दी है। सरकार ने कोवडि-19 की जाँच के लिये कुछ निजी प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी है। 27 मार्च तक कोवडि-19 के सैपलस की जाँच के लिये 111 सरकारी टेस्टिंग सेंटर थे। अन्य 11 पर्यायों की प्रक्रिया में थे। इसके अतिरिक्त 11 राज्यों में जांच हेतु 44 निजी प्रयोगशालाएँ थीं। ये राज्य हैं- दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक, हरियाणा और गुजरात।
- मंत्रालय ने उन लोगों के लिये दिशा-निर्देश निर्धारित किये हैं जिनका इन लेबोरेटरीज़ में परीक्षण किया जा सकता है। इनमें शामिल हैं:
  - उन लोगों के करीबी जो कि कोवडि-19 के लिये पॉजिटिव पाए गए हैं और फरि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के 14 दिनों के भीतर जिनमें श्वास संबंधी लक्षण उभरे हैं।
  - कोवडि-19 प्रभावित देशों की यात्रा करने वाले व्यक्ति, जिनमें वापसी के बाद 14 दिनों के भीतर लक्षण दिखाई दिये हैं।

- **सोशल डिस्टेंसिंग के उपाय:** केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिये कुछ पहलें शुरू करने का प्रस्ताव रखा। इनमें शामिल हैं:
  - (i) सभी शैक्षिक प्रतिष्ठानों (स्कूलों, विश्वविद्यालयों), जमि, संग्रहालयों, सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्रों, स्वमिगि पूल और सनिमाघरों को बंद करना,
  - (ii) आगामी परीक्षाओं को स्थगित करना और वर्तमान में चल रही परीक्षाओं को तभी आयोजित करना, यदविद्यार्थियों के बीच एक मीटर की शारीरिक दूरी सुनिश्चित की जा सकती हो,
  - (iii) जहाँ भी संभव हो, नज्जि क्षेत्र के संगठनों/नयिक्ताओं को कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने के लिये प्रोत्साहित करना।

## घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्राएँ बंद, वीजा जारी करने का कार्य नरिस्त

**नागरिक उड्डयन:** नागरिक उड्डयन महानदिशक ने 24 मार्च, 2020 से 14 अप्रैल, 2020 के दौरान सभी यात्री घरेलू उड्डानों पर प्रतबिंध लगा दिया। देश में आने तथा देश से जाने वाली सभी अंतरराष्ट्रीय कमरशयिल यात्री उड्डानों को 14 अप्रैल, 2020 की शाम 6.30 बजे तक के लिये प्रतबिंधित कर दिया गया (DGCA द्वारा नरिदषिट कारगो और दूसरी अनय उड्डानों को छोडकर)। राजनयिकों, अधकारियों, संयुक्त राष्ट्र/अंतरराष्ट्रीय संगठनों को जारी वीजा तथा रोजगार और परयिोजना वीजा को छोडकर कसिी भी देश के सभी मौजूदा वीजा 13 मार्च से 15 अप्रैल, 2020 तक रद कर दिये गए हैं।

यात्रा पर पूरण प्रतबिंध से पहले DGCA ने कई यात्रा और वीजा प्रतबिंध भी जारी किये थे। इनमें चीन, ईरान, इटली, दक्षणि कोरिया, जापान, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान और कुवैत से भारत आने वाले व्यक्तियों को न्यूनतम 14 दिनों के लिये क्वारंटाइन में रहना जरूरी है। जो लोग 15 फरवरी, 2020 के बाद यूरोपीय संघ के देशों, यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन, तुर्की, ब्रिटन, अफगानिस्तान, फिलिपींस और मलेशिया गए हैं, उन्हें 18 मार्च, 2020 के बाद भारत की यात्रा की अनुमति नहीं है।

**रेलवे:** भारतीय रेलवे ने 14 अप्रैल, 2020 तक सभी यात्री गाड्डियों को रद कर दिया। हालाँकि अनविार्य वस्तुओं का परविहन जारी रहेगा। रेलवे ने रेलवे पारसल वैन को ई-कॉमर्स संस्थाओं और राज्य सरकारों सहित अनय ग्राहकों के लिये त्वरति माल परविहन के लिये उपलब्ध कराया है। इनमें छोटे पारसल आकारों में चकितिसा सामानों की आपूर्ति, चकितिसा उपकरण, भोजन आदि शामिल हैं। इसके अतरिकित रेल मंत्रालय ने घोषणा की कि कोविड-19 को काबू करने में रेलवे की मैनुयुफैक्चरिंग क्षमता का उपयोग किया जाएगा। रेलवे के पास उपलब्ध उत्पादन सुविधाओं का उपयोग साधारण बेड, मेडिकल ट्रॉलियों, पीपीई जैसे- मास्क और वेंटिलेटर आदि वस्तुओं के नरिमाण के लिये किया जा सकता है।

**सडकें:** सडक परविहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 30 जून, 2020 तक एकसपायरड ड्राइविग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण की वैधता बढ़ाई है।

**शपिगि:** शपिगि मंत्रालय ने भारत के बडे बंदरगाहों पर कोविड-19 से नपिटने के लिये अंतरराष्ट्रीय करूज जहाजों के लिये मानक संचालन प्रकरियाओं (SOP) को जारी किया। इसके अंतरगत 1 फरवरी, 2020 से कोविड प्रभावति देशों की यात्रा करने वाले कसिी भी यात्री या चालक दल को 31 मार्च, 2020 तक कसिी भी भारतीय बंदरगाह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अंतरराष्ट्रीय करूज जहाजों को केवल उन बंदरगाहों में अनुमति दी जाएगी जहाँ थर्मल स्क्रीनिग उपलब्ध है।

## वेंटिलेटर, मास्क, सैनटाइजर और कुछ दवाओं के नरियात पर प्रतबिंध

वाणज्य और उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry) ने नमिनलखिति के नरियात पर प्रतबिंध लगाया है:

- (i) वेंटिलेटर (कसिी भी कृत्रमि श्वसन उपकरण या ऑक्सीजन थेरेपी उपकरण या कसिी अनय श्वास उपकरण सहित)
- (ii) सर्जिकल मास्क
- (iii) जनि कपडों से मास्क आदि बनते हैं
- (iv) सैनटाइजर
- (v) हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन (Hydroxychloroquine) और उसके फॉर्मूलेशन (मलेरिया के इलाज के लिये प्रयुक्त)। देश में इनकी सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये यह कदम उठाया गया है। इसके अतरिकित मंत्रालय ने नरिदषिट सकरयि दवा सामग्री (Active Pharmaceutical Ingredients- API) और इन API के फॉर्मूलेशन के नरियात पर प्रतबिंध लगाने वाली एक अधसिुचना जारी की है। इनमें नमिनलखिति शामिल हैं:
  - (i) पैरासीटामोल
  - (ii) एरथिरोमाइसनि सॉल्ट्स
  - (iii) वटामिन बी1, बी6 और बी12
  - (iv) नयिोमाइसनि

## प्रटि और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कामकाज

सूचना और प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) ने कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर प्रटि और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रचालन सुनिश्चित करने के लिये सभी राज्य सरकारों और केंद्रशासति प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में नमिनलखिति को महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर नरिदषिट किया गया है:

- समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के प्रटिगि प्रेस और वतिरण इंफ्रास्ट्रक्चर



- टीवी चैनल
- FM रेडियो नेटवर्क्स,
- ब्रॉडकास्टिंग और केबल ऑपरेटर नेटवर्क्स
- न्यूज एजेंसियाँ।

अधिसूचना में कहा गया है कि कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिये लगाए गए प्रतिबंधों के मद्देनजर, ऐसी महत्वपूर्ण सुविधाओं के सभी ऑपरेटरों के साथ-साथ इंटरमीडियरीज़ को भी परिचालन बरकरार रखने की अनुमति दी जानी चाहिये।

## सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर COVID -19 से संबंधित गलत सूचनाओं पर अंकुश

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology-MEitY) ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर कोविड-19 से संबंधित गलत सूचनाओं पर अंकुश लगाने के लिये एक एडवाइजरी जारी की।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक तरह के इंटरमीडियरीज़ होते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी (इंटरमीडियरी दशा-नरिदेश) नियम, 2011 के अंतर्गत ऐसे इंटरमीडियरीज़ को अपने उपयोगकर्ताओं को ऐसी सूचनाओं से नपिटने की जानकारी देनी चाहिये जो जन व्यवस्था को प्रभावित कर सकती हैं और किसी भी तरह से गैर-कानूनी हैं।

एडवाइजरी प्लेटफॉर्म से नमिनलखिति कार्य करने का आग्रह किया जाता है:

- उपयोगकर्ताओं के लिये जागरूकता अभियान शुरू करें, ताकि जनता के बीच किसी भी तरह की झूठी सूचना को अपलोड न किया जा सके जिससे अशांति पैदा हो,
- प्रामाणिकता के आधार पर ऐसी सामग्री को डिसैबल करने/हटाने के लिये तत्काल कार्रवाई करें, और
- जहाँ तक संभव हो, प्रामाणिक जानकारी के प्रसार को बढ़ावा देना।

## जनगणना और NPR अगले आदेश तक के लिये स्थगित

दिसंबर 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नमिनलखिति प्रस्तावों को मंजूरी दी थी:

- भारत की जनगणना 2021 का संचालन
- असम राज्य को छोड़कर देश के सभी हिस्सों में [राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर](#) (National Population Register- NPR) को अपडेट करना।

जनगणना दो चरणों में होनी थी:

- अप्रैल और सितंबर 2020 के बीच हाउस लसिटिंग और हाउसिंग सेंसस तथा 20 फरवरी 2021 में जनगणना।
- NPR को हाउस लसिटिंग और आवास की जनगणना (Housing Census) के साथ अपडेट किया जाना था (असम को छोड़कर)।

- NPR देश में सामान्य नवासियों का एक रजिस्टर है। सामान्य नवासी उन लोगों को कहा जाता है जो पछिले छह महीने या उससे अधिक समय से स्थानीय क्षेत्र में रहते हैं, या अगले छह महीने या उससे अधिक समय तक उस क्षेत्र में नवास करने का इरादा रखते हैं।
- कोविड-19 महामारी को देखते हुए जनगणना और NPR के अपडेशन को अगले आदेश तक के लिये स्थगित कर दिया गया है।

## COVID-19 पर गठित सशक्त समूह

गृह मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी पर प्रतिक्रियात्मक उपाय करने हेतु अधिकारियों के 11 सशक्त समूहों (Empowered Groups) का गठन किया है। इन समूहों को कोविड-19 से नपिटने के लिये नीतियों और योजनाओं को तैयार करने तथा रणनीतिक परिचालन एवं उनके कार्यान्वयन के लिये कदम उठाने हेतु सशक्त बनाया गया है।

## दवालिया समाधान की प्रक्रिया की न्यूनतम सीमा बढ़ाई

[दवालिया और दवालियापन संहिता-2016](#) (Insolvency and Bankruptcy Code- 2016) कंपनियों की दवालिया संबंधी मामलों को हल करने के लिये एक समयबद्ध प्रक्रिया प्रदान करती है। संहिता कंपनी के लेनदारों को दवालिया समाधान प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति देती है, अगर देनदार कंपनी द्वारा डिफॉल्ट की राशि कम-से-कम एक लाख रुपए है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने इस सीमा को एक लाख रुपए से बढ़ाकर एक करोड़ रुपए कर दिया है। कोविड-19 के कारण बड़े पैमाने पर आर्थिक संकट की आशंका के चलते अधिसंख्य कंपनियों को यह राहत दी गई है।

## EPF नकिसी की सीमा बढ़ाई

राहत पैकेज के अंतर्गत वित्त मंत्री ने घोषणा की कि कर्मचारियों के भविय नधिनियमों को संशोधित किया जाएगा ताकि कर्मचारियों के भविय नधिखातों से गैर-वापसी योग्य अग्रिमों की अनुमति दी जा सके।

## और पढ़ें

## IRDAI कोरोनावायरस के अंतर्गत दावों से नपिटारे के लिये दशा-नरिदेश

- **भारतीय बीमा वनियामक एवं वकिस प्ररधकिरण** (Insurance Regulatory and Development Authority of India- IRDAI) ने कोवडि-19 से संबधति दावों के नपिटारे के लिये दशा-नरिदेश जारी किये।
  - इनमें प्ररवधन है कि बीमाकर्त्ताओं को यह सुनशिचति करना चाहिये कि कोवडि-19 से संबधति मामलों का तेजी से नपिटान किया जाए, खासतौर से जनि मामलों में बीमा कवर में अस्पताल में भरती होना शामिल है।
  - बीमा पॉलिसी को नयिम और शर्तों तथा मौजूदा रेगुलेटरी फरेमवरक के अनुसार उपचार के दौरान मेडिकल खर्चे की लागत को वहन करना चाहिये, जसिमें क्वरंटाइन में रहने के दौरान उपचार भी शामिल है।
- इसके अतरिकित दावों की समीक्षा समति (Claims Review Committee) को खरजि करने से पहले कोवडि-19 के अंतर्गत दरज सभी दावों की समीक्षा करनी चाहिये। IRDAI ने बीमाकर्त्ताओं को कोरोना वायरस के उपचार की लागत को कवर करने के लिये वशिषिट उत्पादों को डजिइन करने की सलाह दी।

## बजिली वतिरण कंनयिों के नकदी संकट के समाधान हेतु उपाय

ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of Power) ने वतिरण कंनयिों (Distribution Companies- Discom) की तरलता (लक्विडिटी) की समस्या को समाप्त करने के लिये वभिन्न उपायों की घोषणा की। ये इस प्रकार हैं:

- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की उत्पादन और हस्तांतरण कंनयिों डसिकॉम को बजिली की आपूर्ति और हस्तांतरण जारी रखेंगी, भले ही उसका बड़ा देय बाकी हो।
- केंद्रीय बजिली वनियामक आयोग को उत्पादन और हस्तांतरण कंनयिों को बकाया राशा देने के लिये डसिकॉम को तीन महीने की मोहलत देनी चाहिये। वलिंब से भुगतान करने पर कोई शुलक लागू नहीं होगा।
- राज्य सरकारें अपने राज्य बजिली रेगुलेटरी आयोगों के माध्यम से इसी तरह के नरिदेश जारी कर सकती हैं।
- डसिकॉमस को उत्पादक कंनयिों को भुगतान सुरक्षा देनी होती है। 30 जून, 2020 तक भुगतान सुरक्षा को 50% तक कम किया जाएगा।

## वदिश व्यापार नीति 2015-20 को मार्च 2021 तक बढ़ाया

वाणजिय एवं उद्योग मंत्रालय ने 2015-20 की अवधि के लिये लागू **वदिश व्यापार नीति** को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाने की घोषणा की है। कोरोनावायरस महामारी के कारण मौजूदा स्थिति को देखते हुए नीतित ववस्था में नरितरता प्रदान करने की घोषणा की गई है। नीति की कुछ प्रमुख वशिषताएँ नमिनलिखित हैं:

- भारत से सेवा नरियात योजना (Service Exports from India Scheme- SEIS) को छोड़कर सभी नरियात प्रोत्साहन योजनाएँ 31 मार्च, 2021 तक उपलब्ध रहेंगी। SEIS जारी रखने का नरिणय बाद में अधसूचति किया जाएगा।
- GST के भुगतान से छूट और कुछ आयतों पर मुआवजा उपकर (Cess) इस अवधि के दौरान जारी रहेंगे।

## पर्यावरणीय मंजूरीयों और पर्यावरण प्रभाव आकलन की शर्तों में परिवर्तन

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कोवडि-19 और अन्य समान लक्षण वाली बीमारियों के मद्देनजर बलक ड्रग्स और इंटरमीडिएट्स के नरिमाण से संबधति सभी परियोजनाओं या गतविधिधियों को 'बी2' श्रेणी में रखा है।
  - 'बी2' श्रेणी के प्रोजेक्ट्स को पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (Environmental Impact Assessment- EIA) की जरूरत नहीं होती।
  - इसलिये इन परियोजनाओं को EIA की शर्तों से छूट मलि जाएगी। यह उपाय 30 सतिंबर, 2020 तक लागू रहेगा।
  - इसके अतरिकित मंत्रालय ने सक्रयि दवा सामग्री और थोक दवा मध्यवर्ती से संबधति परियोजनाओं हेतु पर्यावरणीय मंजूरी में तेजी लाने के लिये आदेश दिये हैं।
- मंत्रालय ने सभी परियोजनाओं और गतविधिधियों के लिये पूर्व में जारी पर्यावरणीय मंजूरी की वैधता को भी 30 जून, 2020 तक बढ़ा दिया है, जो फलिहाल 15 मार्च, 2020 और 30 अप्रैल, 2020 के बीच समाप्त हो रही है।

## DST ने COVID-19 से संबधति तकनीकी समाधानों की मैपिंग

वजिज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वभिग (Department of Science and Technology) ने नदिन, परीक्षण, स्वास्थय देखभाल वतिरण समाधान और उपकरणों की आपूर्ति में समाधान के लिये तकनीक की मैपिंग हेतु टास्क फोर्स का गठन किया।

## अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की नयित कमीशनगि की समय सीमा बढ़ाई

नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New and Renewable Energy) अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की नयित कमीशनगि की समय-सीमा बढ़ाएगा। चीन और अन्य देशों में कोवडि-19 के फैलने के कारण आपूर्ति शृंखला में व्यवधान की बजह से ऐसा कथि जा रहा है। महामारी को प्राकृतिक आपदा का मामला माना जाएगा और ऐसी परस्थितियों में छूट प्रदान करने के लयि अनुबंध संबंधी प्रावधानों पर वचिार कथि जाएगा।

## ऊर्जा तथा नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालयों ने राज्य सरकारों को एडवाइजरीज़ जारी की

ऊर्जा तथा नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालयों ने राज्य सरकारों को देश में वदियुत् उत्पादन और ट्रांसमशिन का नरितर परचालन सुनश्चिति करने के लयि एडवाइजरीज़ जारी की। वदियुत् उत्पादन और ट्रांसमशिन को अनविर्य सेवाओं में वर्गीकृत कथि गया है। इन एडवाइजरीज़ में नमिनलखिति का परचालन शामिल है:

- अंतर-राज्यीय ट्रांसमशिन नेटवर्क
- अंतर-राज्यीय बजिली उत्पादन नेटवर्क
- कुछ अक्षय ऊर्जा उत्पादन स्टेशन

इन एडवाइजरीज़ में राज्य सरकारों से अनुरोध कथि गया है कवि लॉकडाउन, कर्फ्यू के दौरान या कसिी स्थान पर लोगों के एकत्र होने की नश्चिति सीमा की स्थितिमें वदियुतघरों, सब-स्टेशनों और ट्रांसमशिन लाइनों सहिति वभिनिन स्थानों से जुड़े कर्मचारियों, वाहनों और माल की आवाजाही के लयि आवश्यक अनुमतति प्रदान करें।

## अन्य सेवा प्रदाताओं के लयि नयिमों और शर्तों में छूट

- दूरसंचार वभिग (Department of Telecommunications- DoT) ने अन्य सेवा प्रदाताओं (Other Service Providers- OSP) के लयि नयिमों और शर्तों में कुछ छूट की घोषणा की है।
  - OSP ऐसी कंपनयिँ होती हैं जो एप्लीकेशन आधारिति वभिनिन सेवाएँ प्रदान करती हैं, जैसे टेली-बैंकगि, टेली-कॉमर्स, कॉल सेंटर्स और अन्य IT-सक्षम सेवाएँ। उदाहरण के लयि एक बजिनेस प्रोसेस आउटसोर्सगि (BPO) कंपनी OSP है।
- उन्हें देश में सेवाएँ प्रदान करने के लयि DoT के साथ पंजीकरण करना आवश्यक है। OSP उन लोगों को भी नयिकृत कर सकती हैं जो घर से काम करते हैं। OSP को वर्क फ्रॉम होम के लयि DoT से अनुमततिलेनी होती है और इसके लयि बैंक गारंटी देनी होती है।

वर्क फ्रॉम होम की सुवधि के संबंध में 30 अप्रैल, 2020 तक नमिनलखिति छूट दी गई है:

- कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुवधि के लयि पूव अनुमततिकि जरूरत नहीं है। हालाँकि OSP को वर्क फ्रॉम होम की सुवधि शुरू करने से पहले DoT को पूव सूचना देना आवश्यक है।
- वर्क फ्रॉम होम के लयि एग्रीमेंट और सकिथोरटि डपिोजटि की शर्त से छूट दी गई है।
- वर्क फ्रॉम होम के लयि कुछ अधिकृत सेवा प्रदाताओं को सुरक्षिति VPN के उपयोग की शर्त से छूट दी गई है।

वर्क फ्रॉम होम सुवधि के नयिमों और शर्तों का उल्लंघन करने पर हर वर्क फ्रॉम होम लोकेशन पर पांच लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना कंपनी के कसिी कर्मचारी या कंपनी द्वारा कसिी भी उल्लंघन के लयि लागू होगा।

## समष्टि आर्थिक (मैक्रोइकोनॉमिक) वकिस

### 2019-20 की तीसरी तमिही में चालू खाता घाटा GDP का 0.2%

- वर्ष 2018-19 की तीसरी तमिही (अक्तूबर-दसिंबर) की तुलना में वर्ष 2019-20 में इसी अवधामें भारत का चालू खाता घाटा (Current Account Deficit-CAD) \$17.7 बलियिन (GDP का 2.7%) से गरिकर \$1.4 बलियिन (GDP का 0.2%) हो गया।
  - पछिली तमिही, यानी वर्ष 2018-19 की दूसरी तमिही (जुलाई-सतिंबर) में CAD \$6.5 बलियिन था, जो कडि GDP का 0.9% था।
  - CAD में साल-दर-साल की गरिवट मुख्य रूप से वर्ष 2019-20 की तीसरी तमिही में \$34.6 बलियिन के नमिनस्तरीय व्यापार घाटे (नरियात और आयात के बीच का अंतर) के कारण थी।
- वर्ष 2019-20 की तीसरी तमिही में वदिसी मुद्रा कोष \$21.6 बलियिन बढ़ गया, जबकि पछिले वर्ष की इसी अवधामें \$4.3 बलियिन का ह्रास हुआ था।
- नमिनलखिति तालकिा में वर्ष 2019-20 की तीसरी तमिही में भुगतान संतुलन (बलियिन USD) प्रदर्शत है।

	तमिही-III 2018-19	तमिही-II 2019-20	तमिही-III 2019-20
मौजूदा खाता	-17.7	-6.5	-1.4
पूजी खाता	13.8	12.0	22.3
भूल-चूक व लेनी देनी	0.3	0.7	-0.7
कोष में परविरतन	-4.3	5.1	21.6

## वर्तित

### वर्तित वधियक, 2020

संसद के दोनों सदनों ने 23 मार्च, 2020 को वर्तित वधियक, 2020 (Finance Bill, 2020) को पारित किया। वधियक वर्ष 2020-21 के लिये सरकार के वर्तित प्रस्तावों को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है।

#### व्यक्तगत टैक्स की नई दरें

आय	पूर्व दरें	नई दरें
5 लाख रुपए तक	कोई कर नहीं	कोई कर नहीं
5 लाख रुपए से 7.5 लाख रुपए	20%	10%
7.5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए		15%
10 लाख रुपए से 12.5 लाख रुपए	30%	20%
12.5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए		25%
15 लाख रुपए से अधिक		30%

- भारत में नविस:** आयकर अधिनियम, 1961 (Income Tax Act, 1961) एक भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्तिके नविस की स्थितिका निर्धारण करने के लिये मापदंड निर्दिष्ट करता है, जिसके आधार पर भारत में उनकी आय पर टैक्स लगाया जाता है। ऐसे व्यक्तिको नविसी माना जाता था, यदि वह भारत में एक वर्ष में 182 दिन या उससे अधिक समय तक रहता था। ऐसे व्यक्तियों के लिये जो उस वर्ष से पहले के चार वर्षों में कुल 365 दिनों के लिये भारत में थे, वर्तित अधिनियम न्यूनतम आवश्यकता को 182 दिनों से घटाकर 120 दिन करता है। इसके अतिरिक्त 120 दिनों की नचिली सीमा केवल 15 लाख रुपए से अधिक आय वाले व्यक्तियों (वदेशी स्रोतों से आय को छोड़कर) पर लागू होती है। हालाँकि वर्तित अधिनियम में यह प्रावधान है कि 15 लाख रुपए से अधिक की आय (वदेशी स्रोतों से आय को छोड़कर) वाले किसी भी भारतीय नागरिक को देश का नविसी माना जाएगा, यदि वह अधिविस या नविस के कारण किसी अन्य देश या क्षेत्र में टैक्स के लिये उत्तरदायी नहीं है। ये प्रावधान आकलन वर्ष 2021-22 (यानी वर्तित वर्ष 2020-21) से प्रभावी होंगे।
- लाभांश वतरण कर:** आयकर अधिनियम के अंतर्गत कंपनियों को शेयरधारकों को वतरित लाभांश पर 15% कर देना पड़ता था। वर्तित अधिनियम अप्रैल 2020 से इस प्रावधान को हटाता है और कहता है कि लाभांश आय प्राप्तकर्ता के लिये कर योग्य होगा।
- वदेश से प्रेषित धन पर कर:** वर्तित अधिनियम में यह प्रावधान है कि भारतीय रजिस्टर बैंक की [उदारीकृत वपिरेषण योजना](#) (Liberalised Remittance Scheme) के अंतर्गत भारत के बाहर से प्रेषित धन पर 5% की दर से कर देना होगा। हालाँकि यदि प्रेषित धन शैक्षिक ऋण के रूप में है, तो कर की दर 0.5% होगी। यह 1 अक्टूबर, 2020 से प्रभावी होगा।

#### [और पढ़ें](#)

### राजकोषीय समेकन की समीक्षा हेतु 15वें वर्तित आयोग द्वारा समतिका गठन

15वें वर्तित आयोग ने सामान्य सरकार (यानी केंद्र और राज्य सरकारों) के लिये राजकोषीय समेकन संबंधी रोडमैप की समीक्षा के लिये समतिका गठन किया। **राजकोषीय समेकन उन नीतियों को कहा जाता है जो कि सरकार के घाटों और ऋण को कम करने के लिये लक्षित होती हैं।** समतिका संदर्भ की शर्तें नमिनलखित हैं:

- केंद्र, समग्र राज्यों, सामान्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिये घाटे और ऋण की परभाषा का सुझाव देना (इस उद्देश्य के लिये समतिका को सभी स्पष्ट और औसत दर्जे की देनदारियों को ध्यान में रखना चाहिये और ऋण व घाटे की परभाषा के बीच स्थिरता सुनिश्चित करनी चाहिये)।
- सामान्य सरकार के ऋण और समेकित सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण तक पहुँचने के लिये सिद्धांतों को निर्धारित करना, इसके लिये डबल काउंटिंग से बचने हेतु उपयुक्त प्रवधि निर्धारित करना।
- आकस्मिक देनदारियों को परभाषित करना, ऐसी देनदारियों की मात्रात्मक माप प्रदान करना (जहाँ भी संभव हो) और उन शर्तों को निर्दिष्ट करना जिनके अंतर्गत आकस्मिक देनदारियाँ स्पष्ट देनदारियाँ बनेंगी।
- इन परभाषाओं के आधार पर वभिन्न स्तरों पर घाटे और ऋण की मौजूदा स्थितिका समीक्षा करना।
- वर्ष 2021-26 की अवधि के लिये केंद्र, राज्यों और सामान्य सरकार के लिये राजकोषीय समेकन रोडमैप का सुझाव देना तथा नषिकर्षों के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिये परदृश्यों का निर्माण करना।

समतिका में नमिन शामिल हैं:



- (i) श्री एन. के. सहि अध्यक्ष के रूप में
- (ii) डॉ. अनूप सहि और श्री ए. एन. झा, 15 वें वित्त आयोग के सदस्य
- (iii) नयित्त्रक महालेखाकार और कौंग में से प्रत्येक का एक प्रतनिधि
- (iv) संयुक्त सचवि (बजट), वित्त मंत्रालय
- (v) अतरिकित मुखय सचवि, तमलिनाडु
- (vi) प्रमुख सचवि, पंजाब
- (vii) दो बाह्य वशिषज्ज डॉ. साजदि जेड. चर्निय और डॉ. प्राची मशिरा ।

## सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों का वलिय

केंद्रीय कैबनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों (Public Sector Bank- PSB) के चार PSB में वलिय को मंजूरी दे दी है । यह वलिय 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा । PSBs द्वारा बड़े पैमाने पर उच्च क्षमता हासलि करने हेतु वित्त मंत्री ने अगस्त 2019 में घोषणा की थी । जनि बैंकों का वलिय कया जाना है, वे इस प्रकार हैं:

- ओरेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनयिन बैंक ऑफ इंडया का पंजाब नेशनल बैंक में वलिय कया जाएगा;
- सडिकिट बैंक का केनरा बैंक में वलिय कया जाएगा;
- इलाहाबाद बैंक का इंडयिन बैंक में वलिय; तथा
- आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का यूनयिन बैंक ऑफ इंडया में वलिय कया जाएगा ।

## सर्वोच्च न्यायालय ने वरचुअल करैसयिों को रेगुलेट करने वाले RBI के सर्कुलर को रद्द कया

- भारतीय रजिस्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) द्वारा अप्रैल 2018 में आनुपातकता के आधार पर वरचुअल करैसयिों के संबंध में जारी एक सर्कुलर को सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दया ।
  - सर्कुलर में कंपनयिों को वरचुअल करैसयिों के उपयोग करने या वरचुअल करैसयिों के लेन-देन हेतु कसिी व्यक्तया कंपनी को सेवाएँ प्रदान करने से प्रतबिंधति कया गया था ।
- वरचुअल करैसी कसिी वैल्यू का कारोबार करने योग्य डजिटल प्रारूप है जसिे एक्सचेंज के माध्यम के रूप में या स्टोर ऑफ वैल्यू या यूनटि ऑफ एकाउंट के रूप में इस्तेमाल कया जा सकता है । इसे लीगल टेंडर का दर्जा नहीं दया गया है ।
  - लीगल टेंडर की गारंटी केंद्र सरकार देती है और सभी पक्ष उसे भुगतान के माध्यम के रूप में मानने के लयि कानूनन बाध्य होते हैं ।
- न्यायालय ने कहा कजो भी देश की वत्तिलीय प्रणाली के लयि खतरा हो सकता है, वह RBI की नयामक शक्तयिों के दायरे में आता है । भले ही वह गतविधि क्रेडिट या भुगतान प्रणाली का हसिंसा है या नहीं ।
- न्यायालय ने माना कRBI ने इस बात का कोई साक्ष्य नहीं दया है कवरचुअल करैसयिों ने इसके द्वारा वनियमति संस्थाओं को नकारात्मक रूप से प्रभावति कया है ।
- इसके अलावा यह भी कहा गया कनिवंबर 2017 में गठति अंतर-मंत्रालयी समतिका भी यही मानना था कप्रतबिंध एक अंतमि उपाय हो सकता है और नयामक उपायों के माध्यम से इसे प्राप्त नहीं कया जा सकता ।
- इन पर वचिर करते हुए न्यायालय ने यह माना कRBI द्वारा वरचुअल करैसयिों से नपिटने के लयि रेगुलेटेड संस्थाओं को प्रतबिंधति करने की काररवाई आनुपातक नहीं थी और इसे उपरोक्त नरिदेश से अलग रखा जाना चाहयि ।

## क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनरपूंजीकरण

- आर्थिक मामलों की मंत्रमिडलीय समति ने वर्ष 2020-21 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (Regional Rural Banks- RRB) के पुनरपूंजीकरण की योजना को जारी रखने को मंजूरी दी । RRB मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में काररत उद्यमों की ऋण और बैंकगि आवश्यकताओं को पूरा करते हैं ।
- वर्ष 2011 में RRB के पुनरपूंजीकरण के लयि एक योजना को मंत्रमिडल द्वारा अनुमोदति कया गया था और वर्ष 2019-20 तक इसके लयि 2,900 करोड़ रुपए की राशा आवटति की गई थी ।

[और पढ़ें](#)

## RBI भुगतान एग्रीगेटर्स और गेटवे के नयिमन संबंधी दशिा-नरिदेश

- भारतीय रजिस्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) ने देश में भुगतान समूहक (Payment Aggregator) और गेटवेज के वनियमन के लयि दशिा-नरिदेश जारी कयि ।
- भुगतान समूहक वे इकाइयों होती हैं जो व्यापारयिों और ग्राहकों के बीच भुगतान की सुवधि प्रदान करती हैं । इस प्रकरया में वे ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करती हैं और एक अवधि के बाद इन भुगतानों के समूहन को व्यापारयिों को हस्तांतरति करती हैं । भुगतान समूहक एक बैंक या एक गैर-बैंकगि इकाई हो सकती है ।
- पेमेंट गेटवे ऐसी संस्थाएँ हैं जो ऑनलाइन भुगतान की सुवधि के लयि प्रौद्योगिकी ढाँचा प्रदान करती हैं । वे कसिी भी तरह के फंड को संभालने में संलग्न नहीं होती ।

[और पढ़ें](#)

## कॉरपोरेट मामले

### दवालयीपन संहिता (संशोधन) अध्याय, 2020

संसद ने दवाला एवं दवालयीपन संहिता (संशोधन) अध्याय, 2020 [Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2020] पारित कर दिया। यह दिसंबर 2019 में दवाला एवं दवालयीपन संहिता, 2016 में संशोधन हेतु जारी अध्यादेश का स्थान लेता है। अध्याय की मुख्य विशेषताएँ नमिनलखित हैं:

- **प्रस्ताव की प्रक्रिया को शुरू करने के लिये क्रेडिटर्स हेतु न्यूनतम सीमा:** संहिता के अंतर्गत लेनदार (Creditors) दवालयीपन समाधान की प्रक्रिया की शुरुआत कर सकते हैं, अगर देनदार की बकाया राशि न्यूनतम एक लाख रुपए है। वित्तीय लेनदारों की कुछ विशेष श्रेणियों के लिये न्यूनतम सीमा तय करने हेतु इस प्रावधान में संशोधन करता है। रयिल एस्टेट परियोजनाओं के मामले में रेज़ोल्यूशन प्रक्रिया शुरू करने के लिये किसी परियोजना के कम-से-कम 100 एलॉटीज़ (जिन व्यक्तियों को प्लॉट, अपार्टमेंट या बिल्डिंग अलॉट हुई है या बेची गई है) या कुल एलॉटीज़ के 10% सदस्यों (इनमें से जो भी कम हो) को संयुक्त रूप से आवेदन करना होगा।
- **पूर्व के अपराधों के लिये लायबिलिटी:** अध्याय में कहा गया है कि यदि NCLT एक बार किसी दवालयी (Insolvent) कंपनी के लिये प्रस्ताव योजना को मंजूर कर देता है तो उसे दवाला समाधान की प्रक्रिया से पहले के अपराधों के लिये ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अध्याय में उसे उसकी संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार भी दिया गया है (जैसे संपत्ति की कुरकी या उसे जब्त करना, रटिशन या सीजर)। यह अधिकार तभी मलिया, जब प्रस्ताव योजना के कारण कंपनी के प्रबंधन या नियंत्रण में कोई परिवर्तन होता है। डफॉल्ट करने वाले अधिकारियों या अपराध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल कंपनी से जुड़े लोगों को ही ज़िम्मेदार माना जाएगा।
- **महत्वपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति को रोकना नहीं जाएगा:** अध्याय में कहा गया है कि रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल यह आदेश दे सकता है कि उन विशिष्ट वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति स्थगन अवधि के दौरान रोकनी नहीं जा सकती, जो कि कॉरपोरेट देनदार के कामकाज के लिये महत्वपूर्ण है (स्थगन अवधि उस समय अवधि को कहते हैं जब NCLT लोगों को कॉरपोरेट देनदार के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक सकती है, जैसे मुकदमे दायर करना या मुकदमे जारी रहना, अदालती आदेशों का पालन या संपत्ति की रकवरी)। ये प्रावधान उन वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होंगे, जिनमें कंपनी की वैल्यू को संरक्षित रखने और उसके कामकाज करने के लिये महत्वपूर्ण माना जाता है। महत्वपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति रोक सकते हैं, अगर:
  - (i) अगर कंपनी ने स्थगन अवधि के दौरान आपूर्ति के बकाया का भुगतान नहीं किया है, या
  - (ii) कुछ विशेष स्थितियों में जिनमें नरिदषिट किया जा सकता है।

संसद में अध्याय के पारित होने से पहले वित्त संबंधी स्थायी समिति ने 4 मार्च, 2020 को अध्याय पर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। समिति ने सुझाव दिया था कि अध्याय से महत्वपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति वाले प्रावधान को हटा दिया जाना चाहिये। उसने कहा कि हालाँकि इस प्रावधान का उद्देश्य IBC की प्रक्रिया को सहज बनाना और कंपनी को पुनर्र्जीवित करना है, फिर भी ऐसा करने के लिये आपूर्तिकर्ता पर प्रतबंधक शर्तें नहीं लगाई जा सकती। उल्लेखनीय है कि समिति के इस सुझाव को संसद ने अध्याय को पारित करने के दौरान मंजूर नहीं किया।

### कंपनी (संशोधन) अध्याय, 2020

लोकसभा में प्रस्तुत कंपनी (संशोधन) अध्याय, 2020 (Companies (Amendment) Bill, 2020), [कंपनी अधिनियम, 2013](#) (Companies Act, 2013) में संशोधन करता है। अध्याय की मुख्य विशेषताओं में नमिनलखित शामिल हैं:

- **उत्पादक कंपनियों:** 2013 के अधिनियम के अंतर्गत, [कंपनी अधिनियम, 1956](#) (Companies Act, 1956) के कुछ प्रावधान उत्पादक कंपनियों पर लागू होते हैं। इनमें उनकी सदस्यता, बैठकों के संचालन और लेखाओं के रखरखाव से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। उत्पादक कंपनियों में ऐसी कंपनियों शामिल हैं जो कि कृषि उत्पादों का उत्पादन, विपणन और बिक्री करती हैं तथा कृषि उद्योगों के उत्पादों की बिक्री करती हैं। अध्याय इन प्रावधानों को हटाता है और अधिनियम में उत्पादक कंपनियों के लिये ऐसे ही प्रावधानों वाला एक नया अध्याय जोड़ता है।
- **अपराधों में परिवर्तन:** अध्याय तीन परिवर्तन करता है।
  - पहला, वह कुछ अपराधों के लिये जुर्माने को हटाता है। उदाहरण के लिये वह अधिनियम का उल्लंघन करते हुए एक श्रेणी के शेयर होल्डर्स के अधिकारों में बदलाव करने पर लगने वाले जुर्माने को हटाता है। उल्लेखनीय है कि जहाँ किसी नरिदषिट जुर्माने का उल्लेख नहीं है, वहाँ अधिनियम 10,000 रुपए तक के जुर्माने को नरिदषिट करता है जो कि डीफॉल्ट जारी रखने तक प्रतिदिन 1,000 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।
  - दूसरा, वह कुछ अपराधों पर कैद की सजा को हटाता है। उदाहरण के लिये अध्याय उन कंपनियों पर लागू होने वाले तीन साल के कारावास को हटाता है जो कि अधिनियम का अनुपालन किये बिना अपने शेयर्स को बाय-बैक करती हैं।
  - तीसरा, वह कुछ अपराधों में देय जुर्माने की राशि को कम करता है। उदाहरण के लिये अब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनियों में वार्षिक रिटर्न फाइल न करने पर पाँच लाख रुपए की बजाय दो लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा।
- **नगम सामाजिक दायित्व (CSR):** अधिनियम के अंतर्गत एक नरिदषिट राशि के संपत्ति, कारोबार या लाभ कमाने वाली कंपनियों से [नगम सामाजिक दायित्व](#) (Corporate Social Responsibility- CSR) समिति बनाने और पछिले तीन वित्तीय वर्षों में अपने औसत शुद्ध लाभ का 2% अपनी CSR नीति पर खर्च करने की अपेक्षा की जाती है। अध्याय उन कंपनियों को CSR समितियों बनाने से छूट देता है जिनकी CSR देनदारी प्रतिवर्ष अधिकतम 50 लाख रुपए है। इसके अतिरिक्त किसी वित्तीय वर्ष में अपनी CSR बाध्यता से अधिक धनराशि खर्च करने पर अगले वित्तीय वर्ष की CSR बाध्यता में इसे समायोजित कर सकती है।
- **वैदेशी क्षेत्राधिकारों में प्रत्यक्ष लसिटिंग:** अध्याय केंद्र सरकार को इस बात का अधिकार देता है कि वह सार्वजनिक कंपनियों की कुछ श्रेणियों को वैदेशी क्षेत्राधिकारों में प्रतभूतियों की श्रेणियों में लसिटेट करने की अनुमति दे सकती है।

## नगिम सामाजिक दायित्व (CSR) पर मसौदा नयिम

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs) ने सार्वजनिक टिप्पणियों के लिये कंपनी (नगिम सामाजिक दायित्व नीति) संशोधन नयिम, 2020 (Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Amendment Rules, 2020) जारी किये। ये नयिम [कंपनी अधिनियम, 2013](#) (Companies Act, 2013) के अंतर्गत जारी किये गए 2014 के नयिमों में संशोधन करते हैं। अधिनियम के अंतर्गत कुछ कंपनियों को अपनी CSR नीतियों पर पछिले तीन वित्तीय वर्षों में अपने औसत शुद्ध लाभ का 2% खर्च करना पड़ता है। मसौदा नयिमों की प्रमुख वशिषताओं में शामिल हैं:

- **CSR की परिभाषा:** 2014 के नयिमों के अनुसार, नगिम सामाजिक दायित्व (Corporate Social Responsibility- CSR) अधिनियम की अनुसूची 7 के अंतर्गत की गई गतिविधियों से संबंधित परियोजनाएँ होती हैं (जैसे प्रधानमंत्री राहत कोष)। मसौदा नयिम उन गतिविधियों को CSR गतिविधियों के दायरे से बाहर करता है जिनसे कंपनी के कर्मचारी और उनके परिवार लाभान्वित होते हैं। हालाँकि कंपनी के अधिकतम 25% कर्मचारियों को लाभान्वित करने वाली गतिविधियाँ CSR के लिये पात्र होंगी
- **CSR का कार्यान्वयन:** 2014 के नयिमों के अंतर्गत एक कंपनी:
  - (i) स्वयं अपने द्वारा
  - (ii) एक धर्मार्थ कंपनी (अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत), पंजीकृत ट्रस्ट या कंपनी द्वारा स्थापित सोसायटी, या
  - (iii) एक धर्मार्थ कंपनी, पंजीकृत ट्रस्ट या सरकार द्वारा अथवा कानून के जरिये स्थापित पंजीकृत सोसायटी के माध्यम से CSR गतिविधियाँ संचालित कर सकती है। यदि बोर्ड किसी अन्य धर्मार्थ कंपनी, पंजीकृत ट्रस्ट या पंजीकृत सोसायटी का उपयोग करने का नरिणय लेता है, तो उस संस्था के पास ऐसी CSR परियोजना को शुरू करने का तीन साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिये।
    - मसौदा नयिम के अनुसार, कंपनी केवल पंजीकृत धर्मार्थ कंपनी के माध्यम से, या कानून द्वारा स्थापित इकाई के माध्यम से ही CSR गतिविधियों का संचालन कर सकती है। ये प्रावधान उन CSR परियोजना पर लागू नहीं होंगे जिन्हें प्रस्तावित मसौदा नयिमों से पहले अनुमोदित किया गया था
- **बोर्ड द्वारा नगिरानी:** मसौदा नयिम, एक और नयिम जोड़ते हैं और कहते हैं कि कंपनी के बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि CSR गतिविधियों के अंतर्गत वितरित धन का उपयोग अनुमोदित योजनाओं के अनुसार किया जाता है। यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि CSR परियोजना तीन वर्षों के भीतर कार्यान्वित की जाए
- **CSR व्यय:** 2014 के नयिम यह नरिदष्ट करते हैं कि किसी कंपनी द्वारा अपनी CSR गतिविधियों के माध्यम से उत्पन्न अधशिश को व्यावसायिक लाभ नहीं माना जाएगा। मसौदा नयिमों में कहा गया है कि CSR परियोजना से प्राप्त किसी भी अधशिश को या तो उसी परियोजना के लिये रखा जाना चाहिये या अनस्पेंड CSR खाते में हस्तांतरित किया जाना चाहिये।

उल्लेखनीय है कि एक अधसूचना द्वारा सरकार ने अनुसूची 7 की गतिविधियों की सूची का वसितार किया है और उसमें कोविड-19 से संबंधित गतिविधियों पर व्यय को शामिल किया है (स्वास्थ्य सेवा और आपदा प्रबंधन को बढ़ावा देने सहित)। इसमें नए गठित आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं राहत कोष के योगदान भी शामिल हैं।

## NCLAT की न्यायपीठ की स्थापना

- कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (National Company Law Tribunals- NCLT) के पास कंपनियों से जुड़े किसी भी विवाद को सुनने और अन्य मामलों को तय करने की शक्ति है, जैसे याचिकाओं को नपिटाना।
- न्यायाधिकरण दवालयिया और दवालयिपन संहिता, 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code, 2016) के अंतर्गत मामलों की भी सुनवाई करता है। NCLT के आदेश के वरिद्ध राष्ट्रीय कंपनी कानून अपील न्यायाधिकरण (National Company Law Appellate Tribunal- NCLAT) में अपील की जा सकती है।
- केंद्र सरकार ने चेन्नई में NCLAT की एक पीठ की स्थापना हेतु अधसूचना जारी की है। पीठ NCLT के आदेशों के वरिद्ध मामलों की सुनवाई करेगी, जसिके अधिकार क्षेत्र में कर्नाटक, तमलिनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, लक्षद्वीप और पुदुचेरी क्षेत्र शामिल हैं। अन्य NCLAT के वरिद्ध अपीलों की सुनवाई दलिली स्थिति NCLAT की मुख्य पीठ द्वारा की जाएगी।

## स्वास्थ्य

### मेडिकल टर्मनिशन ऑफ प्रेग्नेन्सी (संशोधन) वधियक, 2020

[मेडिकल टर्मनिशन ऑफ प्रेग्नेन्सी \(संशोधन\) वधियक, 2020](#) लोकसभा में पारित कर दिया गया। वधियक मेडिकल टर्मनिशन ऑफ प्रेग्नेन्सी अधिनियम, 1971 में संशोधन करता है। इस एक्ट में पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनरस द्वारा कुछ स्थितियों में गर्भपात से संबंधित प्रावधान हैं। वधियक गर्भावस्था को समाप्त करने की परिभाषा को इसमें शामिल करता है। इसका अर्थ चिकित्सा या शल्य चिकित्सा पद्धतियों से गर्भावस्था को समाप्त करने की प्रक्रिया है।

[और पढ़ें](#)

### राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग वधियक, 2019



[राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2019](#) (National Commission for Homoeopathy Bill, 2019) को राज्यसभा ने मार्च, 2020 में पारित कर दिया। यह अधिनियम होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 (Homoeopathy Central Council Act, 1973) को रद्द करता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति ने नवंबर 2019 में अधिनियम की समीक्षा की और अपनी रिपोर्ट सौंपी। राज्यसभा द्वारा पारित अधिनियम में स्थायी समिति के कुछ सुझावों को शामिल किया गया है।

[और पढ़ें](#)

## आयुर्वेद शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2020

आयुर्वेद शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2020 (Institute of Teaching and Research in Ayurveda Bill, 2020) लोकसभा में मार्च में पारित कर दिया गया। अधिनियम तीन आयुर्वेद संस्थानों का वलिय कर एक संस्थान- आयुर्वेद शिक्षा और अनुसंधान संस्थान बनाने का प्रयास करता है। अधिनियम इस संस्थान को राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान घोषित करता है। अधिनियम की मुख्य विशेषताओं में नमिनलखित शामिल हैं:

- **वलिय:** जनि मौजूदा संस्थानों का वलिय किया जाएगा, वे हैं:
  - (i) स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जामनगर
  - (ii) श्री गुलाब कुंवर बा आयुर्वेद महाविद्यालय, जामनगर
  - (iii) भारतीय आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल्स विज्ञान संस्थान, जामनगर। प्रस्तावित संस्थान गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर के परिसर में स्थित होगा।
- **संस्थान का उद्देश्य:** अधिनियम के अनुसार, संस्थान के नमिनलखित उद्देश्य होंगे:
  - (i) आयुर्वेद और फार्मेसी की मेडिकल शिक्षा में शिक्षण के पैटर्न विकसित करना।
  - (ii) आयुर्वेद की सभी शाखाओं में लोगों को प्रशिक्षित करने के लिये शिक्षण केंद्रों को एक साथ लाना।
  - (iii) आयुर्वेद की स्नातकोत्तर शिक्षा में आत्मनिर्भरता हासिल करना ताकि इस क्षेत्र में विशेषज्ञों और मेडिकल शिक्षक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हों।
  - (iv) आयुर्वेद के क्षेत्र में गहन अध्ययन और अनुसंधान करना।
- **संस्थान के कार्य:** संस्थान के कार्यों में नमिनलखित शामिल हैं:
  - (i) आयुर्वेद की स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा (फार्मेसी सहित) का प्रावधान।
  - (ii) आयुर्वेद में स्नातक और स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये पाठ्यक्रम और करिकुलम निर्दिष्ट करना।
  - (iii) आयुर्वेद की विभिन्न शाखाओं में अनुसंधान की सुविधा प्रदान करना।
  - (iv) आयुर्वेद और फार्मेसी में परीक्षाएँ संचालित करना, डिग्री, डिप्लोमा और दूसरे डिस्टिंक्शंस और टाइटिल देना।
  - (v) आयुर्वेद के सपोर्टिंग स्टाफ जैसे नर्सों के लिये उत्तम दर्जे के कॉलेज और अस्पताल चलाना।

## राष्ट्रीय आयुष मशिन में आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को शामिल करने को मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय आयुष मशिन में आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (आयुषमान भारत का घटक) को शामिल करने को मंजूरी दी। आयुषमान भारत योजना के अंतर्गत सरकार 1.5 लाख मौजूदा उप स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों में अपग्रेड करेगी। इनमें से 10% केंद्रों का संचालन आयुष मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 तक की अवधि में इन आयुष केंद्रों के संचालन के लिये कुल व्यय 3,399 करोड़ रुपए होगा।

[और पढ़ें](#)

## खनन

### खनजि कानून (संशोधन) अधिनियम, 2020

खनजि कानून (संशोधन) अधिनियम, 2020 [Mineral Laws (Amendment) Bill, 2020] संसद में पारित कर दिया गया। यह अधिनियम 10 जनवरी, 2020 को जारी अध्यादेश का स्थान लेता है। यह खान और खनजि (विकास एवं रेगुलेशन) अधिनियम, 1957 [Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957] और कोयला खदान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 [Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015] में संशोधन करता है।

[और पढ़ें](#)

### खनजि रियायत संशोधन नियम, 2020

खान मंत्रालय ने खनजि (परमाणु और हाइड्रो कार्बनस ऊर्जा खनजि) रियायत संशोधन नियम, 2020 (Minerals Concession Amendment Rules, 2020) अधिसूचित किया। नियम खनजि (परमाणु और हाइड्रो कार्बनस एनर्जी मिनरल्स) रियायत नियम, 2016 में संशोधन का प्रयास करते हैं।



संशोधनों में खनजि कानून (संशोधन) अधिनियम, 2020 के प्रावधानों को प्रभावी करने का प्रस्ताव है। अधिनियम में प्रावधान है कि समाप्त होने वाले खनन पट्टों के नए पट्टेदार (Lessee) को दो वर्षों के लिये वैधानिक मंजूरी का हस्तांतरण किया जाएगा। यह प्रावधान कोयला, लग्नाइट और परमाणु खनजि के अलावा अन्य खनजि पर लागू होता है। यह इन खनजि के उत्पादन की निरंतरता सुनिश्चित करना चाहता है।

## परविहन

### प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2020

प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2020 (Major Port Authorities Bill, 2020) लोकसभा में पेश किया गया। अधिनियम भारत में प्रमुख बंदरगाहों के वनियमन, संचालन और उनकी योजना से संबंधित प्रावधान बनाने तथा उन्हें अधिक स्वायत्तता देने का प्रयास करता है। बलि प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (Major Port Trusts Act, 1963) का स्थान लेता है। अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **एप्लीकेशन:** अधिनियम चेन्नई, कोच्चि, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, कांडला, कोलकाता, मुंबई, न्यू मैंगलोर, मोरमुगाव, पारादीप, वी.ओ. चर्चिबरनार और विशाखापट्टनम के प्रमुख बंदरगाहों पर लागू होगा।
- **प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण बोर्ड:** 1963 के अधिनियम के अंतर्गत सभी प्रमुख बंदरगाहों का प्रबंधन संबंधित बंदरगाह ट्रस्ट बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। बलि में प्रत्येक प्रमुख बंदरगाह पर प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है। ये बोर्ड मौजूदा पोर्ट ट्रस्ट का स्थान लेंगे।
- **बोर्ड के वित्तीय अधिकार:** 1963 के अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड को कोई भी ऋण लेने के लिये केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी लेनी होती है। अधिनियम के अंतर्गत अपने पूंजीगत और कार्यशील व्यय की जरूरतों को पूरा करने के लिये बोर्ड नमिनलखिति से ऋण प्राप्त कर सकता है:
  1. भारत का अधिसूचित बैंक या वित्तीय संस्थान, या
  2. भारत के बाहर का कोई वित्तीय संस्थान जो कसभी कानूनों का अनुपालन करता हो। हालाँकि अपने पूंजीगत रजिस्टर के 50% से अधिक के ऋणों के लिये बोर्ड को केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होगी।
- **दरों का निर्धारण:** वर्तमान में प्रमुख बंदरगाहों हेतु 1963 के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित टैरिफ प्राधिकरण, बंदरगाहों पर उपलब्ध परसिपततियों और सेवाओं की दर निर्धारित करता है। अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड या बोर्ड द्वारा नियुक्त समिति इन दरों को निर्धारित करेगी। वे नमिनलखिति के लिये दरों को निर्धारित कर सकते हैं:
  - (i) सेवाएँ जो बंदरगाहों पर संपन्न की जाती हैं।
  - (ii) बंदरगाहों की परसिपततियों तक पहुंच और उनका उपयोग।
  - (iii) वभिन्न श्रेणियों की वस्तुएँ और पोत इत्यादि।
- **न्याय निर्णयन बोर्ड:** अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा एडजुकेटरी बोर्ड के गठन का प्रस्ताव रखता है। बोर्ड में एक पीठासीन अधिकारी और दो सदस्य होंगे, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी।

### सड़क परविहन मंत्रालय ने अनेक प्रावधानों में संशोधन हेतु मसौदा नियमों को अधिसूचित किया

सड़क परविहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियम, 1989 (Motor Vehicles Rules, 1989) में वभिन्न संशोधनों के संबंध में सुझाव आमंत्रित किये हैं। इन नियमों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (Motor Vehicles Act, 1988) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। प्रस्तावित मुख्य संशोधनों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर वाहन का राष्ट्रीय रजिस्टर:** केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस के राष्ट्रीय रजिस्टर और मोटर वाहनों के राष्ट्रीय रजिस्टर के लिये एक पोर्टल को अधिसूचित और मेन्टेन करेगी।
  - लाइसेंस संबंधी पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का एक भंडार होगा जिसमें प्रत्येक राज्य में जारी और नवीनीकृत लाइसेंस से संबंधित सभी विवरण होंगे।
  - वाहन संबंधी पोर्टल प्रत्येक राज्य में पंजीकृत मोटर वाहनों से संबंधित सभी विवरणों वाले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का भंडार होगा।
  - दोनों पोर्टल पर डेटा एक मशीन रीडेबल इलेक्ट्रॉनिक, प्रुटि करने योग्य, साझा करने योग्य प्रारूप में होगा, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए। ये रिकॉर्ड ऐसे संगठनों द्वारा एक्सेस किये जा सकते हैं जिन्हें सरकार उपयुक्त माने।
- **लर्नरस लाइसेंस:** मसौदा नियमों में लर्नरस लाइसेंस लेने का तरीका बदल गया है। नए प्रावधान के अनुसार, ऐसे लाइसेंस के लिये इलेक्ट्रॉनिक रूप में आवेदन करना होगा। उदाहरण के लिये आवेदक अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित ड्राइविंग पर एक ट्यूटोरियल ले सकता है।
- **डफिक्टिव वाहन और रिकॉल:** एक मोटर वाहन का मालिक, एक परीक्षण एजेंसी या कोई अन्य व्यक्ति, जिसने केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, एक विशेष प्रकार के मोटर वाहन को 'डफिक्टिव मोटर वाहन' के रूप में नरिदष्टि करने के लिये नामति अधिकारी को आवेदन कर सकता है। इनमें ऐसे वाहन शामिल हैं जिनमें एक डफिक्टिव घटक या सॉफ्टवेयर है। यदि नामति अधिकारी के पास यह मानने के लिये उचित आधार है कि मोटर वाहन डफिक्टिव है तो वह मोटर वाहन के नरिमाता, आयातक या रेट्रोफिटि को रिकॉल संबंधी नोटिस जारी कर सकता है।
- **डफिक्टिव का मतलब कसि भी वाहन, घटक या सॉफ्टवेयर में दोष है जो सड़क सुरक्षा या पर्यावरण के लिये जोखिम पैदा करता है या जोखिम पैदा कर सकता है। यह एक ही डजिाइन या वनरिमाण के वाहनों के समूह या एक ही प्रकार और वनरिमाण के उपकरण में मौजूद होना चाहिये। यह डजिाइन, वनरिमाण या संयोजन चरण में उत्पन्न होना चाहिये।**
- **जांच:** सभी वाहन जांच एजेंसियों को नरिदष्टि मानकों, विशेष रूप से स्वचलित वाहन उद्योग मानकों (Automotive Industry Standards- AIS) के

प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर उनका अनुपालन करना चाहिये। जाँच एजेंसियों की मान्यता, पंजीकरण और वनियम AIS में नर्धारित गुणवत्ता न्यंत्रण और प्रक्रिया के अनुसार होगा, जैसा कि अधिसूचित है।

## गृह मामले

### राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020

लोकसभा में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 (National Forensic Sciences University Bill, 2020) पेश किया गया। अधिनियम की मुख्य विशेषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **विश्वविद्यालय की स्थापना:** अधिनियम गुजरात फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, गांधी नगर (गुजरात फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 के अंतर्गत स्थापित) और लोकनायक जयप्रकाश नारायण नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंसेज़, नई दिल्ली को गुजरात स्थिति नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज़ विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करता है। अधिनियम इस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान घोषित करता है। अधिनियम 2008 के अधिनियम को रद्द करता है। विश्वविद्यालय के परिसरों में दोनों विश्वविद्यालयों के परिसर और दूसरे अन्य परिसर को अधिसूचित किया जा सकता है।
- **संयोजन:** अधिनियम में विश्वविद्यालय के अंतर्गत विभिन्न प्राधिकार का प्रावधान है। इनमें नमिनलखिति शामिल हैं:
  - (i) विश्वविद्यालय का कुलाधिपति, जो कि प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा।
  - (ii) न्यायालय, जो कि विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करेगा।
  - (iii) बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, जो कि मुख्य कार्यकारी निकाय होगी।
  - (iv) शैक्षणिक परिषद, जो विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों को निर्दिष्ट करेगी।
- **उद्देश्य:** विश्वविद्यालय के मुख्य उद्देश्यों में नमिनलखिति शामिल हैं:
  - भारत में आपराधिक न्याय संस्थानों को मजबूत करने के लिये एप्लाइड बहिवियरल साइंस स्टडीज़, कानून और दूसरे संबद्ध क्षेत्रों के सहयोग से फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में एकेडमिक लर्निंग को आसान बनाना और उसे बढ़ावा देना।
  - फॉरेंसिक साइंस, एप्लाइड बहिवियरल साइंस स्टडीज़ और कानून में अनुसंधान और एप्लाइड एप्लीकेशंस को बढ़ावा देना।
  - केंद्र और राज्य सरकारों के साथ सहयोग करना ताकि अनुसंधानों के जरिये जाँच, अपराध की पहचान करने और उसकी रोकथाम में सुधार किया जा सके।
  - अपराधों की जाँच के लिये नेशनल फॉरेंसिक डेटाबेस बनाने और उसके रखरखाव में केंद्र सरकार की मदद करना जिसमें DNA, फिंगरप्रिंट्स और साइबर सुरक्षा शामिल हैं।

### राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020

लोकसभा में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 (Rashtriya Raksha University Bill, 2020) पेश किया गया। अधिनियम की मुख्य विशेषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **विश्वविद्यालय की स्थापना:** अधिनियम रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, गुजरात [रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (Raksha Shakti University Act, 2009) के अंतर्गत स्थापित] को गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करता है। अधिनियम इस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान घोषित करता है। अधिनियम 2009 के अधिनियम को रद्द करता है।
- **संयोजन:** अधिनियम में विश्वविद्यालय के अंतर्गत विभिन्न प्राधिकार का प्रावधान है। इनमें नमिनलखिति शामिल हैं:
  - (i) शासी निकाय, जो कि विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करेगी।
  - (ii) कार्यकारी परिषद जो मुख्य कार्यकारी निकाय होगी।
  - (iii) शैक्षणिक परिषद जो विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों को निर्दिष्ट करेगी।
- **उद्देश्य:** विश्वविद्यालय के प्रमुख उद्देश्यों में नमिनलखिति शामिल हैं:
  - (i) सीखने और अनुसंधान में गतिशील और उच्च मानदंड प्रदान करना।
  - (ii) कार्यशील वातावरण प्रदान करना जो कि पुलिसिंग में शैक्षणिक अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण को समर्पित हो।
  - (iii) सार्वजनिक सुरक्षा प्रदान करना और उसे बढ़ावा देना।

### संवधान (125वाँ संशोधन) अधिनियम, 2019

गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति ने संवधान (125वाँ संशोधन) अधिनियम, 2019 पर अपनी रिपोर्ट सौंपी। अधिनियम संवधान की छठी अनुसूची से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करता है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मजोरम राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। मुख्य न्यायाधीशों और सुझावों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **सदस्यता:** छठी अनुसूची असम (3), मेघालय (3), त्रिपुरा (1) और मजोरम (3) के दस आदिवासी क्षेत्रों की सूची प्रदान करती है। इनमें से प्रत्येक आदिवासी क्षेत्र एक स्वायत्त जिला है। प्रत्येक स्वायत्त जिले में एक स्वायत्त जिला परिषद (Autonomous District Council- ADC) है। छठी अनुसूची के अनुसार प्रत्येक ADC में कम-से-कम 30 सदस्य होने चाहिये।

- वधियक असम में बोडोलैंड प्रादेशिक परषिद को छोड़कर सभी ADC की सदस्यता बढ़ाता है। उदाहरण के लिये वधियक असम में कार्बी आंगलॉग जिला परषिद की सदस्यता को 30 से बढ़ाकर 50 करता है।
- असम, मजिोरम और त्रपुरा के संबंध में समति ने कहा कि सदस्यता में बढ़ोतरी करिी भी नषिपक्ष मानदंड पर आधारति नहीं है जैसे- जनसंख्या या कषेत्र। समति ने कहा कि परषिदों की सदस्यता में वृद्धाया कमी कुछ तर्कसंगत मानदंडों के आधार पर होनी चाहिये।
- **ग्राम और नगर परषिद:** छठी अनुसूची में कहा गया है कि राज्यपाल एक स्वायत्त जलि को स्वायत्त कषेत्रों में वभिजति कर सकता है जनिमें से प्रत्येक में एक कषेत्रीय परषिद होती है। ऐसे जलिों और कषेत्रों का प्रशासन क्रमशः जिला और कषेत्रीय परषिदों द्वारा कया जाएगा। वधियक इसमें संशोधन करके, ग्राम परषिद (ग्रामीण कषेत्रों के लिये) और नगर परषिद (शहरी कषेत्रों के लिये) का भी प्रावधान करता है।
- इसके अतरिकित जिला परषिद वभिनिन मुद्दों पर कानून बना सकती है जसिमें नमिनलखिति शामिल हैं:
  - कतिनी ग्राम और नगिम परषिदों की स्थापना की जाएगी और उनका गठन।
  - उनकी शक्तियाँ और कार्य। ये प्रावधान मेघालय पर लागू नहीं होंगे।
- वधियक में यह भी कहा गया है कि जिला, कषेत्रीय, ग्राम और नगर परषिदों के सभी चुनाव राज्य नरिवाचन आयोग द्वारा आयोजति कये जाएंगे। ये प्रावधान मेघालय में ग्राम या नगर परषिदों के लिये लागू नहीं होंगे, जब तक कि राज्यपाल द्वारा अनुमोदति नहीं कया जाता है। समति ने मेघालय सरकार के इस स्पष्टीकरण पर वचिर कया कि ग्राम सभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के माध्यम से नहीं होते हैं। उसने कहा कि यह बुनयािदी लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है और यह सुझाव दया कि एक समय सीमा बताई जाए जसिमें मेघालय के लिये यह छूट हटा दी जाए।

## जम्मू एवं कश्मीर केंद्रशासति प्रदेश पर 37 राष्ट्रीय कानून लागू

गृह मंत्रालय ने 37 केंद्रीय कानूनों (कुछ संशोधनों के साथ) को केंद्रशासति प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिये अधिसूचति कया। इनमें नमिनलखिति शामिल हैं:

- [सविलि प्रकरया संहति, 1908](#) (Civil Procedure Code, 1908)
- [आपराधिक दंड प्रकरया संहति, 1973](#) (Code of Criminal Procedure, 1973)
- आयकर अधनियम, 1961 (Income Tax Act, 1961)
- भारतीय दंड संहति, 1860 (Indian Penal Code, 1860)
- दविला और दविलयापन संहति, 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code, 2016)
- [भ्रष्टाचार नविरण अधनियम, 1988](#) (Prevention of Corruption Act, 1988)
- जनप्रतनिधित्व अधनियम, 1950 (Representation of People Act, 1950)।

आदेश को [जम्मू एवं कश्मीर पुनरगठन अधनियम, 2019](#) (Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019) के अंतर्गत अधिसूचति कया गया है जो कि पूर्व जम्मू एवं कश्मीर राज्य को जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख केंद्रशासति प्रदेशों में वभिजति करता है।

## रक्षा

### रक्षा खरीद प्रकरया 2020 का ड्राफ्ट

रक्षा मंत्रालय ने रक्षा खरीद प्रकरया, 2020 (Defence Procurement Procedure, 2020) का मसौदा जारी कया। DPP भारतीय रक्षा बलों के लिये हथियारों और उपकरणों की खरीद को अभशासति करती है। मसौदा DPP, 2016 के DPP में संशोधन करती है जसिका लक्ष्य स्वदेशी वनिरमाण को बढ़ाना और रक्षा उपकरणों की खरीद की समय-सीमा को कम करना है।

[और पढ़ें](#)

## महिला एवं बाल वकिस

### बाल यौन अपराध संरक्षण नयिम, 2020

महिला एवं बाल वकिस मंत्रालय ने बाल यौन अपराध संरक्षण नयिम, 2020 (Protection of Children from Sexual Offences Rules, 2020) के नयिमों को अधिसूचति कया है। नयिमों को बाल यौन अपराध संरक्षण अधनियम, 2012 (Protection of Children from Sexual Offences Rules, 2012) के अंतर्गत अधिसूचति कया गया है। अधनियम यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से बच्चों के संरक्षण का प्रयास करता है।

[और पढ़ें](#)

### महिला सुरक्षा से संबंधति मुद्दों पर स्थायी समति

मानव संसाधन वकिस संबंधी स्थायी समति ने महिला सुरक्षा से संबंधति मुद्दों पर अपनी रिपोर्ट सौपी। समतिके मुख्य सुझावों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **कानून को मजबूत बनाना:** समति ने कहा कि महिलाओं के कल्याण के लिये कई कानून बनाए गए हैं। कति वधियाी ढाँचों के बावजूद महिलाओं को असमानता, भेदभाव और हसिा का सामना करना पड़ता है। समति ने सुझाव दया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिये कानूनों को सख्ती से लागू कया जाना चाहिये। कुछ तरीके जनिमें कानूनों के कार्यान्वयन में सुधार कया जा सकता है, उनमें शामिल हैं:



- (i) 30 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखल करना।
- (ii) अभियुक्तों को जमानत देने से इनकार करना।
- (iii) छह महीने के भीतर लंबित मामलों की सुनवाई

- **महिलाओं का प्रतिनिधित्व:** समिति ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध का कारण यह है कि नरिणायक स्थितियों में उनका प्रतिनिधित्व कम है। उसने सरकार के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिये 33% आरक्षण का सुझाव दिया।
- **फास्ट ट्रैक कोर्ट:** समिति ने कहा कि अगर समय पर न्याय मिला तो महिलाओं के खिलाफ अपराधों को कम किया जा सकता है। उसने कहा कि आंध्र प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के संबंध में कोई पुष्टि नहीं की है। समिति ने सुझाव दिया कि विधि विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 1,800 फास्ट ट्रैक कोर्ट जल्द-से-जल्द चालू हों। इसके अतिरिक्त राज्यों में न्यायालयों का संतुलित बँटवारा होना चाहिए।
- **मानव तस्करी:** समिति ने कहा कि मानव तस्करी की रोकथाम के लिये कोई व्यापक कानून नहीं है। यह सुझाव दिया गया कि एक राष्ट्रीय तस्करी वरिधी ब्यूरो की स्थापना की जाए। यह पुलिस, गैर सरकारी संगठनों और अन्य हतिधारकों से मिलकर बनाया जाना चाहिए। इसमें अंतर-राज्यीय तस्करी मामलों की जांच करने और अंतरराष्ट्रीय नकियों के साथ तस्करी वरिधी प्रयासों को समन्वित करने की शक्ति होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त तस्करी के शिकार लोगों को राहत व पुनर्वास प्रदान करने के लिये एक तस्करी राहत और पुनर्वास समिति का गठन किया जाना चाहिए।
- **नरिभया फंड:** समिति ने कहा कि नरिभया फंड के अंतर्गत देश में 32 परियोजनाओं और योजनाओं के लिये कुल राशि 7,436 करोड़ रुपए है। हालाँकि परियोजनाओं और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये संबंधित नकियों को केवल 2,647 रुपए का वितरण किया गया है। उसने सुझाव दिया कि परियोजनाओं और योजनाओं को समय पर लागू किया जाना चाहिए तथा धन का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा फंड के अंतर्गत परियोजनाओं और योजनाओं की देखरेख कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की जानी चाहिए।

## ग्रामीण विकास

### मनरेगा की राज्यवार मजदूरी में संशोधन

ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) ने **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005)** के अंतर्गत अकुशल शर्मकों के लिये राज्य-वार मजदूरी दर में संशोधन किया। यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2020 से लागू होगी। यह मजदूरी अंतिम बार मार्च 2019 में संशोधित की गई थी। उदाहरण के लिये आंध्र प्रदेश में मजदूरी की दर में 26 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जो वर्ष 2019 में 211 रुपए प्रतिदिन से बढ़कर वर्ष 2020 में 237 रुपए प्रतिदिन हो गई है। अरुणाचल प्रदेश में मजदूरी की दर में 13 रुपए की बढ़ोतरी हुई है जो कि वर्ष 2019 में 192 रुपए प्रतिदिन थी और वर्ष 2020 में 205 रुपए प्रतिदिन हो गई है।

[और पढ़ें](#)

## पर्यावरण और वन

### मसौदा पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2020

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change) ने मसौदा पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2020 (Draft Environment Impact Assessment Notification, 2020) जारी की। यह पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 का स्थान लेता है। यह नई अवसंरचना परियोजनाओं और मौजूदा परियोजनाओं के वसितार या आधुनिकीकरण पर कुछ शर्तों और नयियों को प्रस्तावित करती है। इन परियोजनाओं में बांध, खान, हवाई अड्डे और राजमार्ग शामिल हैं। प्रस्तावित अधिसूचना की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:

- **परियोजनाओं और गतिविधियों का वर्गीकरण:** सभी अवसंरचना परियोजनाओं और गतिविधियों को उनके संभावित सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों तथा इस तरह के प्रभाव की सीमा के आधार पर तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। सभी परियोजनाओं को किसी भी नरिमाण, इंस्टॉलेशन, इस्टैबलिशमेंट या ऐसी किसी भी गतिविधि को शुरू करने से पहले संबंधित रेगुलेटरी अथॉरिटी से पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी लेनी होगी।
- **छूट:** 2006 की अधिसूचना 'सार्वजनिक परामर्श' को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करती है जिसके द्वारा परियोजना को डिज़ाइन करते समय स्थानीय प्रभावित व्यक्तियों और अन्य हतिधारकों की चिंताओं को ध्यान में रखा जाता है। मसौदा अधिसूचना सार्वजनिक परामर्श से कुछ परियोजनाओं को छूट देती है। इनमें सभी भवन, नरिमाण और क्षेत्र विकास परियोजनाएँ, अंतरदेशीय जलमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्गों का वसितार या चौड़ीकरण और सचिवाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण शामिल हैं।
- **उल्लंघन:** मसौदा अधिसूचना पर्यावरण उल्लंघन के संज्ञान के लिये चार तरीके प्रदान करती है। ये हैं:
  - (i) परियोजना प्रवर्तक का आवेदन।
  - (ii) किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा रिपोर्टिंग।
  - (iii) अप्रैजल समिति द्वारा मूल्यांकन के दौरान मिलने पर।
  - (iv) वनियामक प्राधिकरण द्वारा आवेदन की प्रोसेसिंग के दौरान पाया गया कोई उल्लंघन।



- उल्लंघन की रिपोर्ट एप्रेजल समिति को दी जाएगी, जो यह आकलन करेगी कि उल्लंघन के मामले पर्यावरणीय मानदंडों के अनुपालन के अंतर्गत लगातार चलाए जा सकते हैं या नहीं। यदि भूल्यांकन नकारात्मक है, तो परियोजना बंद हो जाएगी। अन्यथा पारस्थितिक क्षति के लिये परियोजना का मूल्यांकन किया जाएगा। इन परियोजनाओं को वलिंग शुल्क देना होगा और कंपनी को पाँच वर्ष के लिये वैध बैंक गारंटी जमा करनी होगी। यह गारंटी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रेमेडिएल प्लान (पारस्थितिक क्षति के लिये) की राशि के बराबर होगी।

## पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 में संशोधन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 में संशोधन किया। अधिसूचना में संशोधन इस प्रकार है:

- **पर्यावरण मंजूरी का हस्तांतरण:** [खनजि कानून \(संशोधन\) अधिनियम, 2020](#) के साथ अधिसूचना से संबंधित प्रावधानों को अनुरूप बनाने हेतु उसमें कुछ संशोधन किये गए हैं। खनजि कानून (संशोधन) अधिनियम, 2020 वैधानिक पर्यावरणीय मंजूरी (पूर्व पट्टेदार के पास) के हस्तांतरण का प्रावधान करता है। यह हस्तांतरण खनन लीज के प्राप्तकर्ता को किया जा सकता है जो खान और खनजि (विकास और रेगुलेशन) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत संपन्न होता है तथा नीलामी के माध्यम से चुना जा सकता है। यह दो साल की अवधि के लिये वैध होगा। इस प्रावधान को प्रभावी करने के लिये पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 में संशोधन किया गया है
- **पर्यावरणीय मंजूरी की शर्त से छूट:** परंपरागत समुदायों के वचारों के मद्देनजर कुछ मामलों में पर्यावरणीय मंजूरी की शर्त से छूट दी गई है। इनमें नमिन्लखिति शामिल हैं:
  - (i) सड़क और पाइपलाइन्स जैसे प्रोजेक्ट्स के लिये उत्खनन, सोर्सिंग या उधारी।
  - (ii) गाँव में व्यक्तिगत उपयोग या सामुदायिक कार्य के लिये ग्राम पंचायत में स्थिति स्रोतों से रेत और मट्टी निकालना।
  - (iii) सचिाई या पेयजल के लिये कुएँ खोदना।

## पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में संशोधन

[पर्यावरण \(संरक्षण\) नियम, 1986](#) (Environment (Protection) Rules, 1986) में प्रावधान है कि केंद्र सरकार किसी उद्योग के स्थान या किसी क्षेत्र में कार्य करने पर प्रतिबंध लगा सकती है। हालाँकि सरकार इस बारे में सूचित करेगी और अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 120 दिनों के भीतर सभी आपत्तियों पर विचार करेगी। इसके बाद केंद्र सरकार 545 दिनों के भीतर ऐसे उद्योगों के स्थान और किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रक्रिया या कार्य पर प्रतिबंध लगा सकती है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पारस्थितिक रूप से संवेदनशील जोन्स और पारस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों से संबंधित अधिसूचना की वैधता की अवधि बढ़ाने के लिये पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में संशोधन किया। अधिसूचना की वैधता 545 दिनों से बढ़ाकर 725 दिन कर दी गई है।

## वदिशी मामले

### अप्रवासी भारतीय विवाह पंजीकरण विधियक, 2019

वदिशी मामलों से संबंधित स्थायी समिति ने अप्रवासी भारतीय विवाह पंजीकरण विधियक, 2019 (Registration of Marriage of Non-Resident Indian Bill, 2019) पर अपनी रिपोर्ट सौंपी। विधियक अप्रवासी भारतीयों के विवाह के पंजीकरण का प्रावधान करता है।

[और पढ़ें](#)

## वाणजिय और उद्योग

### नरियातति उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट के लिये योजना

### (Remission of Duties or Taxes on Export Products-RoDTEP)

केंद्रीय कैबिनेट ने **नरियातति उत्पादों पर शुल्कों व करों में छूट देने की योजना** को मंजूरी दे दी है। योजना नरियातति उत्पादों की वनिर्माण और वतिरण की प्रक्रिया में लगने वाले करों और शुल्कों (केंद्रीय, राज्य और स्थानीय करों सहित) की प्रतपूरति के लिये एक प्रणाली तैयार करती है। योजना वशिष रूप से उन करों और शुल्कों को कवर करेगी जो वर्तमान में किसी अन्य प्रणाली के अंतर्गत रफिंड नहीं किये जा रहे हैं। एक अंतर-मंत्रिस्तरीय समिति का गठन दरों और वस्तुओं के नरिधारण के लिये किया जाएगा, जिसके लिये योजना के अंतर्गत करों और शुल्कों की प्रतपूरति की जाएगी।

### नागरकि उड्डयन में संशोधति प्रत्यक्ष वदिशी नविश नीति

केंद्रीय कैबिनेट ने नागरकि उड्डयन पर प्रत्यक्ष वदिशी नविश (Foreign Direct Investment- FDI) नीति में कुछ संशोधनों को मंजूरी दी है। वर्तमान में घरेलू अधिसूचति यात्री वमिनों में 100% FDI की अनुमति है। अप्रवासी भारतीय (Non-Resident Indian- NRI) के लिये घरेलू अधिसूचति यात्री वमिनों में ऑटोमेटकि रूट से 100% FDI की अनुमति है, जबकि अन्य के लिये यह सीमा अधिकतम 49% है। एयर इंडिया लिमिटेड के लिये FDI प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष

रूप से 49% से अधिक नहीं हो सकती। यह इस शर्त के अधीन है कि एयर इंडिया लिमिटेड पर भारतीय नागरिकों का स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण है। संशोधनों में ऑटोमैटिक रूट से एयर इंडिया लिमिटेड में NRI को 100% FDI की अनुमति दी गई है।

## मीडिया और प्रसारण

### सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति की सनिमैटोग्राफ (संशोधन) विधियक, 2019 पर रिपोर्ट

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति ने सनिमैटोग्राफ (संशोधन) विधियक, 2019 [Cinematograph (Amendment) Bill, 2019] पर अपनी रिपोर्ट सौंपी। यह विधियक सनिमैटोग्राफ अधिनियम, 1954 [Cinematograph (Amendment) Bill, 2019] में संशोधन करता है। विधियक निर्माता की लिखित अनुमति के बिना किसी फिल्म की प्रतिलिपि बनाने या उसे प्रसारित करने के लिये रिकॉर्डिंग उपकरण के प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगाता है। अनुमति के बिना फिल्म की प्रतिलिपि बनाने वाले व्यक्ति को तीन वर्ष तक का कारावास या 10 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों भुगताने होंगे। समिति ने निम्नलिखित नषिकर्ष और सुझाव दिये:

- विधियक की जरूरत:** फिल्मों की पायरेसी कॉपीराइट अधिनियम, 1957 (Copyright Act, 1957) के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। कॉपीराइट अधिनियम के अंतर्गत ऐसे अपराधों की सजा में छह महीने से लेकर तीन वर्ष तक का कारावास शामिल है। समिति ने कहा कि सनिमैटोग्राफ अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधनों की जरूरत नहीं थी क्योंकि ऐसे अपराध पहले ही दूसरे मौजूदा कानूनों के दायरे में आते हैं। इसके अतिरिक्त समिति ने फिल्म पायरेसी से निपटने के लिये कॉपीराइट एक्ट के मौजूदा प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन पर चिंता जाहिर की।
- सजा की न्यूनतम अवधि और न्यूनतम जुर्माना:** विधियक में नरिदषिट अपराध के लिये तीन वर्ष तक के कारावास या 10 लाख रुपए तक के जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। समिति ने सुझाव दिया कि सजा की न्यूनतम अवधि और न्यूनतम जुर्माने को विधियक में नरिदषिट किया जाना चाहिये।
- जुर्माने की अधिकतम राशि:** समिति ने कहा कि विधियक के अंतर्गत प्रस्तावित अधिकतम 10 लाख रुपए का जुर्माना बहुत मामूली है और इसे बढ़ाया जाना चाहिये। समिति ने अधिकतम जुर्माने की राशि को फिल्म की ऑडिटिड ग्राँस प्रोडक्शन कॉस्ट का 5% से 10% तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा।
- अपराध की प्रकृति:** विधियक में नरिदषिट अपराध की सजा में उस अपराध की प्रकृति (क्या वह अपराध जमानती है अथवा गैर जमानती) का उल्लेख नहीं है। समिति ने सुझाव दिया कि अस्पष्टता को दूर करने के लिये मंत्रालय को इस क्लॉज में अपराध की प्रकृति को नरिदषिट करने पर विचार करना चाहिये।
- उचित उपयोग का प्रावधान:** उचित उपयोग से कॉपीराइट होल्डर की अनुमति लिये बिना कॉपीराइट वाली सामग्री का सीमित उपयोग किया जा सकता है। समिति ने कहा कि उचित उपयोग कॉपीराइट अधिनियम, 1952 के दायरे में आता है, सनिमैटोग्राफ अधिनियम, 1954 के दायरे में नहीं। इसलिये उसने सुझाव दिया कि विधियक में उचित उपयोग का प्रावधान शामिल होना चाहिये। ऐसे प्रावधान से उन लोगों को सुरक्षा मिलेगी जो कि गैर-व्यावसायिक उद्देश्य से फिल्मों की शॉर्ट क्लिप्स का इस्तेमाल करते हैं (जैसे सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिये)।

## कपड़ा

### कपास के लिये MSP संचालन के अंतर्गत नुकसान की प्रतिलिपि

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने भारतीय कपास निगम (Cotton Corporation of India- CCI) (311 करोड़ रुपए) और महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास उत्पादक विपणन महासंघ लिमिटेड (Maharashtra State Cooperative Cotton Growers Marketing Federation Limited- MSCCGMFL) (1.6 करोड़ रुपए) को हुए नुकसान की भरपाई के लिये 313 करोड़ रुपए के खर्च को मंजूरी दी है। वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price- MSP) के अंतर्गत खरीदे गए कपास की बिक्री पर यह नुकसान हुआ था। MSCCGMFL को इसलिये मुआवजा दिया जा रहा है क्योंकि वह MSP संचालन के लिये महाराष्ट्र में CCI हेतु एक उप-एजेंट के रूप में काम कर रहा था।

## कृषि

### उर्वरक सब्सिडी की प्रणाली

रसायन एवं उर्वरक संबंधी स्थायी समिति ने 'उर्वरक सब्सिडी की प्रणाली' विषय पर अपनी रिपोर्ट सौंपी। केंद्र सरकार उर्वरकों के वनिरिमाण और आयातकों को सब्सिडी प्रदान करती है ताकि किसान सस्ती कीमतों पर उर्वरक खरीद सकें। समिति के प्रमुख नषिकर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- सब्सिडी नीति में परिवर्तन:** समिति ने कहा कि उर्वरक सब्सिडी के कारण कृषि उत्पादकता को बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायता मिली है। हालाँकि इसका नकारात्मक असर भी हुआ, जैसे उर्वरकों के अत्यधिक और असंतुलित प्रयोग से भू-कषरण हुआ। समिति ने कहा कि सरकार सब्सिडी की व्यवस्था और उस प्रणाली पर विचार कर रही है जो कि इस नीति में सुधार कर सके। इस संबंध में नीति आयोग ने विभिन्न हतिधारकों को मसौदा रिपोर्ट दी है।
- समिति ने कहा कि मौजूदा उर्वरक सब्सिडी नीति में बहुत अधिक परिवर्तन करने से देश की खाद्य सुरक्षा पर काफी असर होगा। उसने निम्नलिखित सुझाव दिये:
  - ऐसा कोई भी कठोर परिवर्तन करने से पहले गहन अध्ययन किया जाना चाहिये और संबंधित केंद्रीय एवं राज्य सरकार के विभागों, उर्वरक उद्योग व किसान तथा उनके संगठनों सहित सभी हतिधारकों के साथ व्यापक परामर्श किया जाना चाहिये।
  - जलदबाजी में कोई नरिणय नहीं लिया जाना चाहिये।
  - छोटे और सीमांत किसानों के हितों को ध्यान में रखा जाना चाहिये।

- सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिये।
- उर्वरकों के संतुलित इस्तेमाल पर किसानों की जानकारी और उनकी जागरूकता को इस नीतिका अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिये।
- **किसानों को प्रत्यक्ष सब्सिडी:** समिति ने कहा कि उर्वरक बनाने वाले बहुत से संयंत्र पुरानी तकनीक और प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं, और उनकी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा। सरकार उच्च सब्सिडी देकर उनकी अक्षमता की कीमत चुका रही है। समिति ने सुझाव दिया कि कंपनियों को अपने अनुसार उर्वरकों को बनाने, सप्लाई करने और बेचने के लिये स्वतंत्र कर दिया जाना चाहिये। किसानों को वभिन्न ब्रांड्स से अपनी पसंद के उर्वरक को खरीदने की छूट होनी चाहिये और सब्सिडी को उनके बैंक खातों में सीधे भेजा जाना चाहिये। इस प्रणाली से मैन्युफैक्चरर्स को लागत प्रभावी तरीके से उर्वरक बनाने और खरीदने का मौका मिलेगा और इस प्रक्रिया में अक्षम संयंत्र बाहर हो जाएंगे। उसने यह सुझाव भी दिया कि सरकार को ऐसी प्रणाली अपनाने के लिये एक स्पष्ट और सुदृढ़ रोडमैप तैयार करना चाहिये, जहाँ किसानों को सीधे सब्सिडी मिले तथा उर्वरकों के वनिरिमाण व आयात को बाजार की शक्तियों से मुक्त किया जाए।

## खोपरा के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2020के लिये खोपरा हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price- MSP) को मंजूरी दी। मलिंग खोपरा के लिये MSP में 4.6% की वृद्धि की गई है, जो कि 9,521 रुपए प्रति क्वंटिल से बढ़कर 9,960 रुपए प्रति क्वंटिल हो गया है। बॉल खोपरा के लिये MSP 3.8% बढ़ाई गई है और यह 9,920 रुपए प्रति क्वंटिल से बढ़ाकर 10,300 रुपए प्रति क्वंटिल कर दी गई है।

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी वपिणन संघ (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India- NAFED) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ लिमिटेड (National Cooperative Consumers Federation of India Limited- NCCF) नारयिल उत्पादक राज्यों में खोपरा की खरीद के लिये जमिमेदार केंद्रीय नोडल एजेंसियाँ हैं।

## संचार

### इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर श्रेणी-I

- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India- TRAI) ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर श्रेणी-I (IP-I) पंजीकरण के दायरे को बढ़ाने पर सुझाव जारी किया। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना और रखरखाव करते हैं और दूरसंचार सेवा प्रदाता (Telecom Service Providers- TSP) को इनका करिया देते हैं। दूरसंचार टावर कंपनियाँ इस श्रेणी के तहत पंजीकृत हैं।
- वर्तमान में IP-I पंजीकरण धारकों को नषिक्रयि अवसंरचना प्रदान करने की अनुमति है। नषिक्रयि अवसंरचना शेरिंग में टेलीकॉम नेटवर्क्स के नॉन-इलेक्ट्रिकल और सविलि इंजीनियरिंग एलिटिमेंट्स शामिल हैं। इसमें राइट ऑफ वे, टावर साइट्स, टावरस, पोलस, उपकरणों के लिये कमरे, पावर सप्लाई और एयर कंडीशनगि सुवधिएँ शामिल हैं।

## इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी

### इलेक्ट्रॉनिक्स वनिरिमाण प्रोत्साहन योजना

केंद्रीय कैबिनेट ने देश में इलेक्ट्रॉनिक्स वनिरिमाण प्रोत्साहन हेतु नमिनलखिति योजनाओं का अनुमोदन किया:

- **बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक वनिरिमाण हेतु उत्पादन प्रोत्साहन योजना:** यह योजना मोबाइल फोन नरिमाण और एसेंबल, टेस्टगि, मार्केटगि व पैकगि इकाइयों सहति नरिदषिट इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों में उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों का प्रस्ताव रखती है। योजना का उद्देश्य ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के घरेलू वनिरिमाण को बढ़ावा देना और इस क्षेत्र में निविश को आकर्षति करना है। इस योजना के तहत आधार वर्ष से पाँच साल तक भारत में नरिमति वस्तुओं के इनकर्मिटल वक्रिय पर कुछ कंपनियों को 4%-6% का प्रोत्साहन (Incentive) मिलेगा। योजना की कुल लागत 40,995 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।
- **संशोधति इलेक्ट्रॉनिक्स वनिरिमाण क्लस्टर (EMC 2.0) योजना:** EMC 2.0 योजना EMC योजना का स्थान लेगी जिसे वर्ष 2012 में घोषति किया गया था और जिसके लिये अक्टूबर 2017 तक आवेदन करना था। पूर्ववर्ती EMC योजना के अंतर्गत 20 इलेक्ट्रॉनिक्स वनिरिमाण क्लस्टर (Electronics Manufacturing Clusters- EMC) और तीन सामान्य सुवधि केंद्र (Common Facility Centres- CFC) अनुमोदति किये गए थे।
- यह योजना EMC और CFC दोनों की स्थापना के लिये वत्तितीय सहायता प्रदान करेगी। EMC और CFC इलेक्ट्रॉनिक्स ससिस्टम डिजाइन और वनिरिमाण क्षेत्र को सामान्य सुवधिएँ प्रदान करने के साथ-साथ वशिवस्तरीय अवसंरचना प्रदान करेंगे। EMC 2.0 योजना की कुल लागत आठ वर्षों की अवधि में 3,762 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।
- **इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अरद्धचालकों के वनिरिमाण संवर्द्धन हेतु योजना:** योजना नरिदषिट इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के वनिरिमाण के लिये 25% पूंजीगत व्यय का वत्तितीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी। योजना के अंतर्गत अनुसंधान और वकिस सहति संयंत्र, मशीनरी, उपकरण और प्रौद्योगिकी पर पूंजीगत व्यय को कवर किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में नमिनलखिति शामिल हैं:
  - (i) मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स।
  - (ii) उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स।
  - (iii) मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स।

(iv) दूरसंचार उपकरण । योजना की कुल लागत 3,285 करोड़ रुपए होने का अनुमान है ।

## नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा

### अटल ज्योतियोजना चरण -II

- अटल ज्योतियोजना चरण-II (Atal Jyoti Yojana Phase-II) को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाया गया । इस योजना को दिसंबर 2018 में शुरू किया गया था और इसे दिसंबर 2019 तक जारी रहना था ।
- इस योजना के अंतर्गत निर्दिष्ट क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम्स लगाए जाने का प्रावधान था । योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार 75% लागत का वहन करती है और शेष 25% को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कोष (Member of Parliament Local Area Development Fund- MPLAD) द्वारा प्रदान किया जाता है । योजना के चरण-II के अंतर्गत कुल 3.04 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/prs-march-2020>

